

The Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004

Act 24 of 2004

Keyword(s):

Kuladhipati, Executive Council, Academic Council

Amendments appended: 15 of 2005, 16 of 2019, 23 of 2025

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 24 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

विषय – सूची

खण्ड :

अध्याय – एक

प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ
- 2. परिभाषाएँ

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय

- 3. विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन
- 4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य
- 5. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ
- 6. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिषेध
- 7. विश्वविद्यालय में अध्यापन
- विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय का निरीक्षण

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

- 9. विश्वविद्यालय के अधिकारी
- 10. कुलाधिपति और उसकी शक्तियाँ
- 11. कुलपति की नियुक्ति
- 12. कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की शर्ते
- 13. कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य
- 14. कुलसचिव
- 15. अन्य अधिकारी

अध्याय – चार विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17.* महापरिषद् का गठन

– विलोपित

- 19.* महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तें विलोपित
- 18.* अध्यक्ष और सचिव

- विलोपित
- 20.* महापरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य विलोपित
- 21.* महापरिषद् द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समितियों का गठन विलोपित
- 22. कार्यपरिषद्

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. १५ सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ — दिनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित।

- 23. कार्यपरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य
- 24. वित्त समिति
- 25. विद्यापरिषद्
- 26. विद्यापरिषद् की शक्तियाँ
- 27. अध्ययन बोर्ड

अध्याय — पॉच वित्त

- 28. विश्वविद्यालय निधि
- 29. उदद्श्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन किया जा सकेगा।
- 30. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा
- 31. वार्षिक रिपोर्ट

अध्याय – छः

समन्वय समिति, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

- 32. कुलपति समन्वय समिति का सदस्य होगा
- 33. परिनियम
- 34. परिनियम कैसे बनाये जाऍगे
- 35. अध्यादेश
- 36. विनियम

अध्याय – सात विद्यार्थियों का प्रवेश एवं परीक्षकों की नियुक्ति

37. विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश

38. परीक्षक तथा अनुसमीक्षकों(माडरेटर्स) की नियुक्ति

अध्याय – आठ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

- 39. अध्यापकों की नियुक्ति
- 40. प्रवरण समिति
- 41. अध्यापकों का वेतन
- * संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 विनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। अध्याय — नौ आपात उपबंध
- 42. राज्य सरकार कतिपय परिस्थितियों में वित्तीय नियंत्रण ग्रहण करेगी
- 43. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए उपबंध करने की दृष्टि से अधिनियम को उपान्तरित रूप में लागू करने की राज्य सरकार की शक्ति
- 44. परिणाम जो धारा 43 के अधीन अधिसूचना कि प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर होगा।

अध्याय – दस अनुपूरक उपबंध

- 45. विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन संबंधी विवाद
- 46. समितियों का गठन

- 47. आकरिमक रिक्तियों का भरा जाना
- 48. विश्वविद्यालय तथा निकायों की कार्यवाहियाँ रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होगी
- 49. सेवा की शर्त
- 50. अधिनियमों तथा आदेशों का संरक्षण
- 51. विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्यागपत्र
- 52. प्राधिकारी का सदस्य होने के लिए निरर्हता
- 53. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय में से किसी सदस्य को हटाने की शक्ति
- 54. संविदाओं का निष्पादन
- 55. मानद उपाधि

– विलोपित

56. संपत्ति का अंतरण

– विलोपित

57. कठिनाइयों का निराकरण

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. 15 सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ विनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित।

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 24 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ विधान—मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

> अध्याय – एक प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम

- 1. (1)इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 कहलायेगा।
 - (2)यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जब आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो।

परिभाषाएँ

- (3) वह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा।
- 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा न हो:--
 - (एक) ''विद्यापरिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद;
 - (दो) ''अध्ययन बोर्ड'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड;
 - (तीन) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है वह संस्था जिसे इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन संधारित किया जाता हो या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;
 - (चार) ''समन्वय समिति'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क—22, सन्—1973) की धारा 34 के अधीन गठित समन्वय समिति;
 - (पांच) ''विभाग'' से अभिप्रेत है प्राध्ययन विभाग और उसके अंतर्गत आता है अध्ययन केन्द्र (सेन्टर ऑफ स्टडीज);
 - (छः) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति और उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय का

अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी;

- (सात) ''कार्यपरिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्;
- (आठ) ''संकाय'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कोई संकाय;
- (नौ)* ''महापरिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की महापरिषद्; विलोपित
- (दस) ''महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है महाविद्यालय के किसी भी विभाग के अध्यक्ष;

- (बारह) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (तेरह) ''कुलपति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (चौदह) ''विश्वविद्यालय से संसक्त व्यक्ति'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का कोई कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का या महाविद्यालय के प्रबंधक वर्ग (मैनेजमेंट) का कोई सदस्य;
- (पंद्रह) ''प्राचार्य'' से अभिप्रेत हैं महाविद्यालय का प्रधान इसके अंतर्गत आता हैं प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति;
- (सोलह) ''पंजीकृत स्नातक'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत समझा गया स्नातक;
- (सत्रह) ''कुलसचिव'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव;
- (अठारह) ''अनुसूचित जाति से अभिप्रेत'' है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जाति; ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई अनुसूचित जनजाति;
- (उन्नीस) ''प्राध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है उच्चतर विद्या तथा गवेषणा के स्थान के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था;

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। (ग्यारह)''विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को शिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किए गए किसी अध्ययन विभाग का अध्यक्ष और उसके अंतर्गत आता है, संचालक या किसी ऐसे महाविद्यालय का प्राचार्य, किसी ऐसे संस्थान (इंस्टीट्यूट) का, जो कि गवेषणा कार्य में अभिवृद्धि करने के लिये या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है।

- (बीस) ''परिनियम'', ''अध्यादेश'' तथा ''विनियम'' से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय के तत्समय प्रवृत्त परिनियम / अध्यादेश तथा विनियम जैसी भी की दशा हों;
- (इक्कीस) ''छात्र निवास'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या संस्था के विद्यार्थियों के लिए निवास स्थान की या सामूहिक जीवन की इकाई जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया गया हो या मान्यता दी गई हो;
- (बाईस) ''विश्वविद्यालय का अध्यापक'' से अभिप्रेत है आचार्य (प्रोफेसर), उपाचार्य (रीडर), प्राध्यापक (लेक्चरर) तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्यापरिषद् के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हों या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी गई हों, शिक्षण देने के लिए या गवेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों;
- (तेईस) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय;
- (चौबीस) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्या 3) के अधीन स्थापित किया गया आयोग।

अध्याय दो विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उनका निगमन

- 3. ''(1)* कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी। विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जो कुलाधिपति, कुलपति की कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के सदस्यों से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गए हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसी सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे।''
- (2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जाएगा।
- (3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए, विश्वविद्यालय जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने तथा ध

ारण करने, किसी ऐसे जंगम या स्थावर संपत्ति को जो कि उसमें निहित की गई हो, या विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा अर्जित की गई पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित करने तथा संविदा करने और ऐसे समस्त अन्य बातें, जो इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए आवश्यक हों, करने के लिए सक्षम होगा।

- (4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किए जायेंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों में समस्त आदेशिकायें रजिस्ट्रार को जारी की जाएंगी तथा उस पर तामील की जाएंगी।
- (5) विश्वविद्यालय का मुख्यालय रायपुर में स्थित होगा।

विश्वविद्यालय के 4 उद्देश्य

विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

- (1) विश्वविद्यालय को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनसंचार तथा इससे जुड़े ऐसे विषय, अध्ययन शाखायें एवं अध्ययन क्षेत्र जो इन क्षेत्रों के आवश्यक तथा उपयोगी हों एवं जो इससे संबंद्ध हों के लिए अध्यापन, प्रशिक्षण, विद्या और अनुसंधान के राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करना;
- (2) उपरोक्त क्षेत्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यवसायिक मानव शक्ति तैयार करना;

- (6) उपर वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक उपाय करना।
- 5 इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ^{विश्वविद्यालय} लय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी अर्थात् :— (एक) विद्या के ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय—समय पर अवधारित करें, शिक्षण के लिए व्यवस्था करना और गवेषणा कार्य तथा ज्ञान के अभिवर्धन एवं प्रचार के लिए व्यवस्था करना ;
 - (दो) अध्यापन तथा गवेषणा के लिए विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा अन्य सुविधाओं का आयोजन

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 विनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित।

⁽³⁾ अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रकाशन के माध्यम से ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में संचार के लिए समुचित प्रौद्योगिकी विकसित करना;

⁽⁴⁾ एक विशिष्टता वाले उद्यमी का विकास करना ;

⁽⁵⁾ समाज के उपान्तस्थ वर्गों विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्य ान देना;

करनाः

- (तीन) महाविद्यालयों, अध्यापन—विभागों, प्रध्ययन केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्र निवासों को स्थापित करना, संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना;
- (चार) (क) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद तथा विद्या संबंधी कोई अन्य पद या कोई अन्य अध्यापन पद जो कि विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित हो, संस्थित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
 - (ख) उन व्यक्तियों को जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठन में कार्य कर रहे हो, विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में विनिर्दिष्ट कालाविध के लिए नियुक्त करना;
- (पांच) अध्यापकों को इस रूप में मान्यता देना कि व महाविद्यालय के शिक्षण देने के लिए अर्ह हैं;
- (छः) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों के इस प्रायोजन से मान्यता देना कि वे उस समय विषय में गवेषणा के संबंध में पथप्रदर्शन करें;
- (सात) विभिन्न परिक्षाओं के लिए शिक्षण क्रम अधिकथित करना;
- (आठ) इस अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार उपाधियां, उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं संस्थित करना;
- (नौ) ऐसी शर्तों के, जैसी कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, अध्ययीन रहते हुए परीक्षाओं, मूल्यांकन, या जांच की किसी अन्य पद्धति के आधार पर जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं उपाधिपत्र, प्रमाण पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना,

परंतु विश्वविद्यालय की किसी उपाधि तक पहुंचाने वाली परीक्षा में किसी भी व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने, यदि उसने ऐसी परीक्षा के लिए ऐसा विषय चुना हो, जिसके लिए कि प्रायोगिक (प्रेक्टिकल) कार्य का पाठ्यक्रम विहित किया गया हो, ऐसा कार्य किसी विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग या किसी प्रध्ययन केन्द्र या किसी महाविद्यालय में पूरा न कर लिया गया हो तथा जब तक के वह उस कार्य के इस प्रकार पूरा कर लेने के बारे में उस अध्यापन विभाग या प्राध्ययन केन्द्र के विभागाध्यक्ष या उस महाविद्यालय के प्राचार्य, का प्रमाण पत्र पेश कर दें;

(दस) उन व्यक्तियों को जिन्होंने अध्यादेशों में अभिकथित शर्तों के अधीन गवेषणा का कार्य किया हो, उपाधि तथा विद्य ा संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

- (ग्यारह) उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारण से प्रत्याहरण करना;
- (बारह) अनुमोदित व्यक्तियों को परिनियमों में विहित की गई रीति में सम्मानिक उपाधियां या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;
- (तेरह) उस रीति में तथा उन शर्तों के अधीन, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की गई हो, अपने विशेषाधिकार देना, इन समस्त विशेषाधिकारों का या उनमें से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना महाविद्य ालयों का प्रबंध करना ;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रू प में घोषित करना ;

परंतु स्वायत्तता, जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी की सीमा ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों, द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

- (पंद्रह)विश्वविद्यालय द्वारा मान्य महाविद्यालय तथा संस्थाओं में अध्यापन तथा गवेषणा कार्य का संचालन करना, समन्वय करना विनियमन करना तथा नियंत्रण करना ;
- (सोलह) परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई रीति से उन छात्र निवासों को जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों, मान्यता देना किसी ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना ;
- (सत्रह) महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनमें शिक्षण अध्यापन तथा प्रशिक्षण का उचित स्तर बनाएं रखा जावे ;
- (अठारह) समाज के कमजोर वर्गों के तथा विशिष्टतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक हित को विशेष सतर्कता के साथ संप्रवर्तित करना ;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा पूर्व छात्रों के लिये पुनः सद्यक पाठ्यक्रमों (रिफ्रेशन कोर्सेस) तथा अवकाश पाठ्यक्रमों (वेकेशन कोंर्सेस) की सुविधायें देना ;
- (बीस) ऐसी रीति में तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये जिन्हें जिसे कि विश्वविद्यालय अवधारित करे अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों के साथ सहयोग तथा सहकार करना ;
- (इक्कीस) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना :--

- (क) बहिर्वर्ती (एक्सट्राम्यूरल) अध्यापन तथा विस्तारी सेवा ;
- (ख) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दूर शिक्षा ;
- (ग) शारीरिक प्रशिक्षण ;
- (घ) खेलों तथा व्यायाम संबंधी क्रियाकलाप ;
- (ड़) समाज सेवा स्कीमें ;
- (च) राष्ट्रीय कैंडेट कोर ;

(बाईस) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना :--

- (क) सूचना ब्यूरो ;
- (ख) नियोजन ब्यूरो, और
- (ग) मुद्रण तथा प्रकाशन विभाग और अनुवाद ब्यूरो ;
- (तेइस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के हेतु इंतजाम करना ;
- (चौबीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, मांग करना तथा उनका संदाय प्राप्त करना ;
- (पच्चीस) ऐसी फीस तथा ऐसे अन्य प्रभार, जो महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे या वसूल किये जा सकेंगे, विहित करना तथा उनका नियंत्रण करना ;
- (छब्बीस) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना, उनकी पदावधि अवधारित करना तथा उन पर नियुक्तियां करना ;
- (सत्ताईस) विश्वविद्यालय के वैतनिक अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों पर परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार नियंत्रण रखना ;
- (अठ्ठाईस) न्यासों तथा विन्यासों(एण्डाउमेंट्स) को धारण करना और उनका प्रबंध करना तथा अध्येतावृत्तियां, (फेलाशिप्स) छात्रवृत्तियां, छात्र सहायक वृत्तियां(एग्जीविशन्स), वजीफे(बर्सरीज) पदक एवं अन्य पुरस्कार संस्थित तथा प्रदान करना ;
- (उन्तीस) संदान तथा अनुदान प्राप्त करना और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निधियां विनिहित करना ;
- (तीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय की स्थावर संपत्ति की प्रतिभूति पर धन उधार देना;
- (इक्तीस) विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी मापदंड, जिनके अंतर्गत परीक्षा मूल्यांकन या जांच की कोई अन्य पद्धति आती

है, अवधारित करना ;

(बत्तीस) स्त्री विद्यार्थियों की दशा में ऐसे विशेष इंतजाम ;

(तैंतीस) कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए इंतजाम करना ;

(चौंतीस) ऐसी कोई भूमि या भवन या संकर्म जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक है, और ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर जो कि वह ठीक और उचित समझे क्रय करना, पट्टे पर लेना दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुये ऐसे किसी भवन या संकर्म का सन्निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना ;

(पैंतीस) विश्वविद्यालय के जंगम या स्थावर, समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग के ऐसे निबंधनों पर जैसा कि विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे विक्रय करना, विनिमय करना; पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करना ;

(छत्तीस) विश्वविद्यालय की कोई कक्षाएं या उसके विभागों को समाप्त करना और बंद करना ;

(सैंतीस)केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या प्राधिकरणों से अनुदान प्राप्त करने के लिए करार करना ; (अड़तीस) समस्त ऐसे कार्य तथा बातें, चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या न हो, जो विश्वविद्य

ालय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हों, करना।

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त बातों में विभेद का प्रतिबंध

विश्वविद्यालय इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने में या इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कृत्यों का पालन करने में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय में

- . विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन कार्य, ऐसे अध्यापन का आयोजन करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम एवं पाठचर्या ऐसी होगी/ऐसा होगा जैसा कि यथास्थिति परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित किया जाए।
- 8. (1) कुलाधिपति, स्वप्रेरणा से, ऐसे व्यक्ति या व विश्वविद्यालय का जिन्हें / जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा र निरीक्षण ा और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवा सकेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा

निवेदन किया जाने पर ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें/जिसे कि वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय का, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कर्मशालाओं तथा साजसज्जा का और किसी महाविद्यालय या संस्था का, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाना हों, या जिसे उसके विशेषाधिकार दिये गये हों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या उसके द्वारा किये गये अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवायेगा तथा विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवायेगा।

- (2) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण करवाने या जांच करवाने के अपने आशय की सूचना :--
 - (क)विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के संबंध में या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित, महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी हो / किया जाना हो;
 - (ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधक वर्ग को देगा, यदि वह निरीक्षण या जांच किसी ऐसे महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था के संबंध में जिसे कि विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, की जानी हो किया जाना हो, और यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग का एक प्रतिनिधि, जिसे यह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के समय उपस्थित रहे तथा उस समय उसकी सुनवाई की जाए, नियुक्त करने का हकदार होगा।
- (3)ऐसा व्यक्ति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम की रिपोर्ट कुलाधिपति को देगा और कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में अपने विचार कुलपति के माध्यम से यथास्थिति कार्यपरिषद् या उक्त प्रबंधक वर्ग को संसूचित करेगा तथा उस पर कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग की राय, अधिनिश्चित करने के पश्चात् विश्वविद्यालय या प्रबंधक वर्ग को की जाने वाली, कार्यवाही के संबंध में सलाह देगा ;
 - परंतु जहां निरीक्षण या जांच राज्य सरकार द्वारा निवेदन किया जाने पर करवाया गया हो, कार्यवाही की गई हो, वहां कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करेगा।
- (4)यथास्थिति कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को ऐसी कार्यवाही की, यदि कोई हो, जो उसने ऐसे निरी क्षण या जांच के परिणामस्वरूप की हो या जिसका करना वह प्रस्थापित करे संसूचना देगा और ऐसी रिपोर्ट, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि कुलाधिपति निर्दिष्ट करे, भेजी जायेगी।
- (5.) जहां कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपित के समाधान योग्य कार्यवाही करने असफल हो, वहां कुलाधिपित, कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये व्यपदेशपन पर विचार करने के पश्चात्, राज्य सरकार के परामर्श से ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा, जैसे कि वह उचित समझे, और यथास्थिति, कार्यपरिषद् या प्रबंधक वर्ग उनका अनुपालन करेगा / करेगी।

अध्याय — तीन विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक)कुलाधिपति ;

- (दो) कुलपति ;
- (तीन) कुलसचिव ;
- (चार) वित्त अधिकारी ;
- (पांच) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य अधिकारी, जो कि परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाएं।

कुलाधिपति , और उसकी शक्तियां

- 10 (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
 - (2)* कुलाधिपति अपने पद के आधार पर मानद अधिकारी होगा और जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।
 - (3) कुलाधिपति :--
 - (क) विश्वविद्यालयों के कार्यकलापों से संबंधित कोई भी कागज पत्र या जानकारी मंगा सकेगा ; और
 - (ख) अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से धारा 57 के अधीन आने वाले मामले के सिवाय कोई भी मामला विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसने ऐसे मामले पर पूर्व में विचार किया हो, पुनर्विचार के लिए निर्देशित कर सकेगा ;
 - (4) कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा :--
 - (क)विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निकाय की जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया/की गई हो, किसी भी ऐसी कार्यवाही को जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अनुरूप न हों ; या
 - (ख) किसी प्राधिकारी; समिति या किसी अन्य निकाय की किन्ही ऐसी कार्यवाहियों को, जो कुलपति द्वारा उसे निर्देशित की गई हों, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं, बातिल कर सकेगा;

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. १५ सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ विनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित।

- परंतु कोई भी ऐसा आदेश करने के पूर्व वह संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या निकाय को यह कारण दर्शाने के लिए अपे क्षत करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उसके द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर कोई कारण दर्शाया जाए, तो वह उस पर विचार करेगा।
- (5) जहां कुलाधिपति उपधारा(6) के अधीन की कार्यवाहियों को बातिल करते हुए कोई आदेश पारित करता है, वहां वह उसके संबंध में इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप, ऐसा पश्चात्वर्ती आदेश कर सकेगा जैसा कि वह विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक समझे और इस प्रकार किया गया आदेश अंतिम होगा।
- (6) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति के पुष्टिकरण के अध्यधीन होगी।
- (7) कुलाधिपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं।
- 11. (1) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (2) या उपध कुलपति की 5 अधीन गठित खोज समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन पत्रकारिता से संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों की त नियुक्त विश्वार में से राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा ''प्रसाद के सिद्धांत'' की जावेगी।

परंतु यदि खोज समिति द्वारा अनुशंसित समिति में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करना चाहे तो कुलाधिपति खोज समिति से नए नाम मंगा सकेगा।

- (2) कुलाधिपति एक खोज समिति नियुक्त करेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :--
 - (एक) कार्यपरिषद् द्वारा अनुशसित एक व्यक्ति ;
 - (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक व्यक्ति
 - (तीन) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया गया एक व्यक्ति ; कुलाधिपति इन्हें नियुक्त करेगा और उनमें से एक को समिति का अध्यक्ष बनाएगा
- (3) उपधारा(2) के अधीन समिति गठित करने के लिये, कुलाधिपति, कुलपित की अविध का अवसान होने के छः मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य शासन को अपने—अपने नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई भी या दोनों इस बारे में कुलाधिपित की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहें तो राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपित, यथास्थिति किसी एक या दोनों व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगा।
- (4) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विश्वविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (2) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या अनुशंसित नहीं किया जाएगा।
- (5) समिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाए, तालिका प्रस्तुत करेगी।

- (6) यदि किसी कारण से सिमिति, जो उपधारा(2) के अधीन गिठत की गई हो, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालाविध के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपित एक अन्य सिमिति गिठत करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्य ालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हो, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जाएगा। इस प्रकार गिठत की गई सिमिति अपने गठन की तारीख से छः सप्ताह की कालाविध के भीतर या ऐसी लघुतर कालाविध, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर जिसमें कम से कम तीन नाम होंगे तालिका प्रस्तुत करेगी।
- (7) यदि उपधारा(6) के अधीन समिति उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो राज्य सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा।
- (8) राज्य शासन एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान की नियुक्ति नवगठित विश्वविद्यालय के कुलपित के पद पर करेगा "पांच वर्ष की अविध के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद धारण करेगा तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के एक वर्ष* के भीतर, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपित, यथास्थिति, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा अन्य प्राधिकारी समझा जाएगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

*परंतु कुलाधिपति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद् , एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्तीय विशेषज्ञ होगा जो कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी।

कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की शर्तें

- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियाँ एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्त परिनियमों द्वारा विहित की जाऍगी।
- (2) कुलपति [#]पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी कम हो, पदधारण करेगा और वह दो से अधिक पदाविधयों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु अपनी पदावधि का अवसान हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण किये रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले किंतु यह कालावधि किसी भी दशा में छः मास से अधिक नहीं होगी।

- (3) यदि अध्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जॉच जो कि आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने —
 - (एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है

* संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. 15 सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ दिनांक २५ अगस्त २००५। ** संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००६ (क्रं. २४ सन् २००६). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक २१८ दिनांक ३१ अगस्त २००६। #संशोधन, छत्तीसगढ़ अध्यादेश (क्रं. २ सन् २००९). छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक १५ अक्टूबर २००९।

- (दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है ; या
- (तीन) वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है, तो राज्य सरकार, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति की पदाविध का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, अपना पद त्याग दे।
- (4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उन आधारों की विशिष्टयाँ जिन पर कि ऐसी कार्यवाही का किया जाना प्रस्तावित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हो तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।
- (5) उपधारा (3) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से यह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग किया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा।
- (6)* ''कुलपित की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी रूग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपित के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसकों कि कोई कुलपित जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, य थास्थिति अपना पद ग्रहण या पुनः ग्रहण नहीं कर लेता है:

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इंतजाम छः मास से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा।"

- 13. (1) कुलपित विश्वविद्यालय का प्रशासी तथा कुलपित की यक अधिकारी होगा। *वह कार्य परिषद् का तथा विद्यापरिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष *विश्वविद्यालय के ऐसे 3 कर्तव्य कारियों समितियों तथा निकायों का जिनका कि वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्रधिकारी, सोमीत या अन्य निकाय के किसी भी सम्मेलन में उपस्थित होने तथा बोलने का हकदार होगा, किंतु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो।
 - (2) यह सुनिश्चित करना कुलपित का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है और इसे इस प्रयोजन के लिए समस्त आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होगी।
 - (3) कुलपति को, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, सिमतियों तथा निकायों के, जिनका कि वह अध्यक्ष हो, सम्मेलन बुलाने की शक्ति होगी। वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. १५ सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ दिनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित।

- (4) यदि कुलपित की राय में ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसमें तुरंत कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपित ऐसी कार्यवाही करेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी प्राधिकारी, सिमित या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करता, करेगा। परंतु कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वविद्यालय तीन मास से अधिक कालाविध के लिये किसी भी आवर्ती व्यय के हेतु वचनबद्ध नहीं होगा। परंतु यह और भी कि जहाँ कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही ऐसी कोई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालती हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस तारीख से, जिसको कि उसे ऐसी कार्यवाहीं की संसूचना दी गई हो, तीस दिन के भीतर कार्यपरिषद् को अपील प्रस्तुत करने का हकदार होगा। परतु यह भी कि इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों, विनियमों में संशोधन से संबंधित किन्हीं मामलों या पदों के सृजन और नियुक्तियों से संबंधित किन्हीं मामलों पर नहीं होगा।
- (5) उपधारा(4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि संबंधित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई, कार्यवाही का अनुमोदन न करे तो वह मामले का कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।
- (6) उपधारा(4) के अधीन कुलपित द्वारा की गई कार्यवाही समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही समझी जाएगी जब तक कि वह उपधारा(5) के अधीन किए गए निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपित द्वारा अपास्त न कर दी जाए या उपधारा(4) के द्वितीय परंतुक के अधीन अपील के किए जाने पर कार्यपरिषद् द्वारा अपास्त न कर दी जाए।
- (7) कुलंपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावशील करेगा।
- (8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जाए।
- (9) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय की *कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन नियत तारीख से *एक वर्ष की कालावधि के भीतर करें।
- कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन, कुलपति के साधारण अधीनक्षण तथा नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए करेगा। वह * कार्यपरिषद् के, विद्यापरिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।
 - (2) कुलसचिव की नियुक्ति कार्यपरिषद् द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियमों के अनुसार की जाएगी। परंतु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति राज्य शासन करेगा।

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित।

- (3) कार्यपरिषद् की शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए, कुलसचिव जब तक कि परिनियमों में अन्यथा उपबंधित न हो यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धन उसी प्रयोजन के लिए व्यय किये जाते हैं, जिसके लिए वे मंजूर या आबंटित किये गये हैं।
- (4) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, समस्त संविदायें विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जाऍगी और समस्त दस्तावेजों तथा अभिलेख विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा अधिप्रमाणीकृत किये जाऍगे।
- (5) कुलसचिव ऐसी शक्तियों की प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उसको प्रदत्त की जाएँ या उस पर अधिरोपित किए जॉए।
- (6) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलपति बीमारी, अनुपस्थिति या किसी कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उसके कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति इस प्रयोग के लिए नियुक्त करे।
- विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों, जो धा अन्य कर्मचारे निर्दिष्ट किए गए हैं नियुक्ति ऐसी रीति में की जाएँगी और उनकी सेवा की शर्तें एवं उनकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य ऐसे के परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा निहित किये जाएँ।

अध्याय – चार विष्वविद्यालय के प्राधिकारी

16 विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे

(एक)* विलोपित

(दो) कार्यपरिषद्

15.

(तीन) विद्यापरिषद्

(चार) वित्त-समिति

(पॉच) संकाय / स्कूल

(छ:) अध्ययन बोर्ड

(सात) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएँ।

17.* महापरिषद् का गठन

– विलोपित

18.*अध्यक्ष और सचिव

– विलोपित

- 19.* महापरिषद् के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा शर्तें विलोपित
- 20.* महापरिषद् की शक्तियाँ तथा कर्तव्य विलोपित

21.* महापरिषद् द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समितियों का गठन — विलोपित कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक ि ^{कार्य परिषद्} गी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् — (एक) कुलपति अध्यक्ष (दो) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कोई सदस्य दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो ; विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित तीन विधायक (तीन) सदस्य संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्र. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। (चार)प्रमुख सचिव / सचिव, जनसंपर्क विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो ; सदस्य प्रमुख सचिव / सचिव, वित्तविभाग या उसका (पॉच) नाम निर्देशिती जो उप-सचिव के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो सदस्य (छः) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उप-सचिव के पद से निम्न पद श्रेणी का न हो सदस्य एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम (सात) निर्देशित किया जाएगा ; सदस्य विलोपित (आठ)* (नौ) कुलपति की सिफारिश पर चकानुक्रम में कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट दो आचार्य ; सदस्य सदस्य सचिव (दस) कुलसचिव (2)कार्यपरिषद् के वे सदस्य जो पदेन सदस्यों से भिन्न हो, दो वर्ष की कालावधि के लिए पदधारण करेंगे। कार्यपरिषद् के पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परंतु स्थगित सम्मिलन जो कि एक घंटे की पुनः सूचना पर हो, के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् की

23- (1)

कार्य परिषद की शक्तियाँ तथा कार्त्तव्य निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् -

- (एक)विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को धारण करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा उनका प्रबंध करना ;
- (दो) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी निधियों का प्रबंध करना,
- (तीन) संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखे अंगीकृत करना ;
- (चार)विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन विचरित करना और उन्हें *पारित करना;
- (पांच) (क)* विलोपित
 - (ख) वर्ष के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमा नियत करना जो विश्वविद्यालय के संसाधनों पर आधारित होगी ;
- (छः) खण्ड (पॉच) के अध्यधीन रहते हुए वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय
 - (क) बजट अनुदान की रकम कम करना ;
 - (ख) बजट अनुदान के भीतर की किसी रकम के, एक उपशीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष को या किसी एक उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष से किसी अन्य उपशीर्ष के अंतर्गत आने वाले किसी अधीनस्थ शीर्ष को आंतरित किये जाने की मंजूरी देना ;
- * संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित।
 - (ग) किसी उपशीर्ष के भीतर की पच्चीस हजार से अनधिक किसी रकम के एक अधीनस्थ शीर्ष के किसी अन्य अधीनस्थ शीर्ष को या एक प्रधान इकाई से दूसरी प्रधान इकाई को अंतरित किये जाने की मंजूरी देना ;
 - (सात) विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना तथा उधार देना ; परंतु निधियाँ विश्वविद्यालय संपत्ति की प्रतिभूति पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उधार नहीं ली जाएगी ;
 - (आठ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को अंतरित करना ; परंतु विश्वविद्यालय की किसी भी स्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान के रूप में या अन्यथा अंतरण राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ;
 - (नौ) इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से संविदायें करना, उनमें परिवर्तन, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें रदद् करना ;
 - (दस)विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का रूप अवधारित करना उसकी अभिरक्षा की व्यवस्था करना तथा उसके उपयोग को विनियमित

करनाः

- (ग्यारह) विद्यापरिषद् की सिफारिश पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और उस रीति में तथा उन शीर्षों के अधीन जो परिनियमों तथा अध्यादेशों में विहित की गई हो, इन विशेषाधिकारों में से किसी भी विशेषाधिकार का प्रत्याहरण करना तथा महाविद्यालयों का प्रबंध ग्रहण करना ;
- (बारह) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन—विभाग, प्राध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय को स्वशासी महाविद्यालय के रूप में घोषित करना, परंतु स्वायत्तता जो विश्वविद्यालय के प्रत्येक ऐसे अध्यापन विभाग प्रत्येक ऐसे प्राध्ययन केन्द्र या प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय को प्राप्त हो सकेगी की सीमा ऐसी होगी जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए तथा वे विषय जिनके कि संबंध में वह ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकेगा, ऐसे होंगे जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित किये जाएँ;
- (तेरह) विश्वविद्यालय का कार्य चलाने के लिये आवश्यक भवन—परिसरों, उपस्कर, उपकरणों (एपरेटस) पुस्तकों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (चौदह) विश्वविद्यालय के पक्ष में न्यासों, वसीयतों(बिक्वेस्ट्स) दानों और किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के अंतरणों को विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिगृहीत करना ;
- (पंद्रह) वित्त, लेखा एवं निवेशों का प्रबंधन एवं विनियमन करना ;
- (सोलह) निम्नलिखित को संस्थित करना तथा उनका प्रबंध करना ;
 - (क) मुद्रण, प्रकाशन और अनुवाद ब्यूरो ;
 - (ख) सूचना ब्यूरो ;
 - (ग) नियोजन ब्यूरो ;
- (सत्रह) निम्नलिखित के लिये व्यवस्था करना -
 - (क)* (1) निवेश बाह्य अध्यापन तथा गवेषणा ;
 - (2) विश्वविद्यालय विस्तार संबंधी क्रियाकलाप ;
 - (3) दूरस्थ शिक्षा
 - (ख)* (1) शारीरिक प्रशिक्षण ;
 - (2) विद्यार्थी कल्याण ;
 - (3) खेलों तथा व्यायाम संबंधी कियाकलाप ;

- (4) समाज सेवी योजनायें ;
- (5) राष्ट्रीय कैडेट कोर ;
- (अठारह) विद्यापरिषद् की समस्त प्रस्थापनाओं की बजट के ढॉचे के भीतर उनके निष्पादन की दृष्टि से समीक्षा करना ;
- (उन्नीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को संस्थित करना ;
- (बीस) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय तथा अन्य पदों का सृजन करना ;
- (इक्कीस) विश्वविद्यालय के किन्हीं आचार्य पदों, उपाचार्य पदों, प्राध्यापक पदों या अन्य अध्यापन पदों को समाप्त करना या निलंबित करना ;
- (बाइस) महाविद्यालयों, अध्यापन—विभागों, गवेषण या विशेषित अध्ययन संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों तथा छात्र निवासों की स्थापना करना, उन्हें संधारित करना तथा उनका प्रबंध करना ;
- (तेइस) विश्वविद्यालयों के ऐसे अध्यापकों के लिए जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो आवास स्थान की व्यवस्था करना ;
- (चौबीस) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थानों के निरीक्षण का इंतजाम करना तथा उनके निरीक्षण के लिए निर्देश देना और उनकी दक्षता बनाए रखने तथा उनके कर्मचारीवृन्द के सदस्यों के लिए नियोजन के उचित शर्तों को तथा पर्याप्त वेतनों के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी करना और ऐसे अनुदेशों की अवहेलना की जाने की दशा में संबद्ध करने या मान्यता देने की या ऐसे अन्य उपाय करने की, जिन्हें कि वह उस संबंध में आवश्यकता तथा उचित समझे, शर्तों में विद्यापरिषद की सिफारिश पर उपांतरण करना ;
- (पच्चीस) एक महाविद्यालय संहिता, उसमें महाविद्यालयों को संबद्ध किए जाने संबंधी निबंधन तथा शर्तें अधिकथित करते हुए तैयार करना ;
- (छब्बीस) संबद्ध महाविद्यालयों ; मान्यता प्राप्त संस्थानों से रिपोर्ट-विवरणियाँ तथा अन्य जानकारी मँगवाना ;
- (सत्ताईस) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के प्रवेश, निवास स्थान आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण करना तथा नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण में अभिवृद्धि करने के लिए इंतजाम करना ;
- (अट्ठाइस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में सम्मानित उपाधियाँ तथा विद्यासंबंधी विशिष्टताएँ प्रदान करने की कुलाधिपति से सिफारिश करना ;

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। (उनतीस) परिनियमों द्वारा विहित की गई रीति में उपाधियाँ, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्यासंबंधी अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना या उनका प्रत्याहरण करना ;(तीस)अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययन वृत्तियाँ, छात्र—सहायता वृत्तियाँ पदक तथा पारितोषिक

संस्थित करना ;

- (इकतीस) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपित से भिन्न हो, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उनके कर्त्तव्य इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों जो कुलपित से भिन्न हो, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना। उनके कर्तव्य और उनकी सेवाशर्तें परिनिश्चित करना और उनके पदों में होने वाली अस्थायी रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;
- (बत्तीस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द के सदस्यों में अनुशासन का विनियमन तथा प्रवर्तन परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार करना;
- (तैंतीस) किसी संबद्ध महाविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मचारीवृंद के सदस्य को विश्वविद्यालय के अध्यापक के रूप में मान्यता देना और ऐसी मान्यता का प्रत्याहरण करना;
- (चौंतीस) परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा अन्य जॉचों (टेस्ट्स) के संचालन का तथा उनके परिणामों को प्रकाशित करने का इंतजाम करना;
- (पैंतीस) अनाचार (मालप्रेक्टिस) की दिशा में परीक्षाओं को अंशतः या पूर्णतः रदद् करना तथा ऐसे अनाचार के दोषी पाए गए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं के विरूद्ध कार्यवाही, जिसके अंतर्गत निष्कासन (रेस्टीगेशन) आता है, करना;
- (छत्तीस) विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों जिनके अंतर्गत किन्हीं भी परीक्षाओं के अभ्यर्थी आते हैं, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना ;
- (सैंतीस) कर्मचारीवृन्द के विरूद्ध तथा अंतरीक्षकों (इन्वीजीलेटर्स), परीक्षकों आदि के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना ;
- (अड़तीस) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभार जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाए की जॉच नियत करना, उनकी मॉग करना और उन्हें प्राप्त करना ;
- (उनतालीस) अध्यादेश बनाना, उनमें संशोधन करना और उन्हें रदद करना;
- (चालीस) विद्यापरिषद् द्वारा विरचित विनियमों को प्रतिगृहीत करना, अस्वीकार करना या विद्यापरिषद् की ओर विचारार्थ वापस करना किंतु उनमें संशोधन न करना ;
- (इकतालीस) कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के व्यथा निवेदनों को ग्रहण करना उन्हें न्यायनिर्णीत करना और यदि ठीक समझा जाय तो उनके संबंध में प्रतितोष देना ;
- (बयालीस)ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जाए या उस पर अधिरोपित किए जाए ;
- (तैंतालीस)ऐसी समस्त अन्य शक्तियों का जो अन्यथा उपबंधित न की गई हों तथा जो इस अधिनियम या परिनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित हों, प्रयोग करना।

(चावालीस) अपनी कोई भी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, जिसे कि वह उचित समझे, विनियमों द्वारा प्रत्यायोजित करना।

वित्त समिति

- 24. (1) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त समिति गठित करेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्
 - (एक) विश्वविद्यालय का कुलपति, अध्यक्ष;
 - (दो) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, सदस्य सचिव;
 - (तीन) केन्द्रों के संकायाध्यक्ष ;
 - (चार) प्रमुख सचिव / सचिव, जनसंपर्क विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो ;
 - (पॉच) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।
 - (छः) प्रमुख सचिव / सचिव, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो।
 - (2) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करेगी।
 - (3) इस अधिनियम के उपबंधों और उसके बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए वित्त समिति निम्नानुसार शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगी —
 - (क) विश्वविद्यालय की आय और व्यय का पुनर्विलोकन करना ;
 - (ख) विश्वविद्यालय के वित्तीय बजट का अनुमोदन वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व करना और उसे अनुमोदन के लिये कार्यपरिषद् के समक्ष रखना और उसमें समय—समय पर संशोधित करने की सलाह देना;
 - (ग) विश्वविद्यालय के आय और व्यय के संबंध में प्रस्तावों को मंजूर करना और विनिश्चय करना;
 - (घ) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वार्षिक संपरीक्षा को समय पर पूरा करवाना और रिपोर्ट के प्रकाश में समुचित निर्देश देना ;
 - (4) चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी समिति में कुलपति तथा उपधारा (1) के खंड *(पॉच) या *(छः) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

विद्या परिषद

- 25. (1) विद्यापरिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात्—
 - (एक) कुलपति, अध्यक्ष;
 - (दो) कुलसचिव-सदस्य सचिव;
 - (तीन) संकायाध्यक्ष;

- (चार) अध्ययन बोर्डी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
- (पॉच) विश्वविद्यालयों के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष;
- (छः) संचार की किसी भी शाखा का एक शिक्षक जो कुलपति द्वारा नामांकित हो;
- (सात) संचार के क्षेत्र का एक विख्यात व्यवसायी, जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा;
- *संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. 15 सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ विनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित। (आठ) अध्ययन केंद्रों के दो आचार्य (चकानुकम के आधार पर);
 - (नौ) विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग / अध्ययन केंद्रों के दो उपाचार्य / व्याख्याता जो मद (3), (4) एवं (5) से भिन्न हों जो कुलपति द्वारा चकानुकम से नाम निर्दिष्ट किए जाऍगे।
 - (2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी ;
 - 26. (1) विद्यापरिषद् को इस अधिनियम, परिनियमों विद्या परिषद् ध्यादेशों द्वारा उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलि खित शक्तियाँ होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्या का पालन करेगी, अर्थात्
 - (एक) विश्वविद्यालय की विद्यासंबंधी नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षण के तरीकों के संबंध में ऐसे महाविद्यालयों तथा ऐसी संस्थाओं में, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किया जाता हो या जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों, सहकारी अध्यापन के संबंध में गवेषण के मूल्यांकन के संबंध में या विद्या संबंधी स्तर विषयक सुधारों के संबंध में निर्देश देना ;
 - (दो) या तो स्वप्रेरणा पर या संकाय या कार्यपरिषद् द्वारा किये गये निर्देश पर विद्या संबंधी सामान्य हित के विषयों के संबंध में विचार करना और उन पर समुचित कार्यवाही करना;
 - (तीन) संकायों को विभाग आबंटित करने के लिए प्रस्थापना करना और अधिसदस्यों (फेलोज) को तथा उसके अपने सदस्यों को संकायों के लिए नियत करना;
 - (चार) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र—सहायतावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करने के लिए प्रस्थापना करना और उनके प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना;
 - (पाँच) किसी शिक्षण संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जाने संबंधी आवेदन पर विचार करना;
 - (छः) व्यक्तियों की विश्वविद्यालय के अध्यापकों के रूप में मान्यता देने के लिए अर्हताएँ विहित करना तथा ऐसी मान्यता प्रदान करना;
 - (सात) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना तथा परीक्षाफल तैयार करने एवं ऐसे परीक्षाफल कार्यपरिषद् को

प्रकाशानार्थ प्रतिवेदन करने के लिए परीक्षाफल समितियों की नियुक्ति करना जिनमें उसके अपने सदस्य या अन्य व्यक्ति या दोनों जैसा कि वह उचित समझे होंगे ;

- (आठ) किसी विषय में प्रख्यात व्यक्तियों को इस प्रयोजन से मान्यता देना कि वे उस विषय में गवेषणा के संबंध में पथप्रदर्शन करें।
- (2) विद्यापरिषद् एक स्थायी समिति की नियुक्ति कर सकेगी जिसमें कि उसके (विद्यापरिषद् के सदस्य होंगे; उक्त स्थायी समिति के गठन शक्तियों तथा कृत्यों का अवधारण परिनियमों द्वारा किया जाएगा।
- 27. (1) प्रत्येक विषय के लिए या विषयों के समूह ं े रा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, एक अध्ययन बोर्ड होगा।
 - (2) प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे
 - (एक) उक्त विषयों के जिनके लिए बोर्ड का गठन किया गया हो, विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों के आचार्य ;
 - (दो) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में से एक उपाचार्य जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो, जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चकानुकम के आधार पर नाम निर्दिष्ट किया जाएगा;
 - (तीन) अध्यापन विभाग का एक प्राध्यापक जो उक्त विषयों का अध्यापन करता हो जो कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार चकानुकम के आधार पर नाम निर्देशित किया जाएगा ;
 - (चार) विषयों के विभागाध्यक्ष ;
 - (पॉच) एक विद्यार्थी जो परिनियमों में अभिकथित की गई अर्हताएँ रखता हो, जो कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिये नियुक्त किया जाएगा ;
 - (छः) दो सदस्य, जो बोर्ड द्वारा सहयोजित किये जायेंगे, उनमें से विश्वविद्यालय से बाहर का कोई विशेषज्ञ होगा।
 - (3) अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के सदस्यों में से जो उपधारा(2) के खंड(एक) में निर्दिष्ट किये गये हैं नाम निर्देशित किया जाएगा —

परंतु यदि खंड(एक) के अधीन का कोई सदस्य न हो तो अध्यक्ष कुलपति द्वारा बोर्ड के उपधारा(2) के खंड(दो) तथा(चार) के अधीन के सदस्यों में से नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

- (4) अध्ययन बोर्ड की अवधि तीन वर्ष होगी ;
- (5) अध्ययन बोर्ड को ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो कि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएँ / की जाए :

वित्त

विश्वविद्यालय निधि

- 28- (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय निधि कहलायेगी।
 - (2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भाग होंगे या उसमें संदत्त किये जाऍगे
 - (क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी निगमित निकाय द्वारा किया गया भाटक, अभिदाय या अनुदान ;
 - (ख) न्याय, वसीयत, दान, विन्यास (एण्डाउमेंट्स) तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो ;
 - (ग) समस्त स्त्रोतों से हुई विश्वविद्यालय की आय, जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय आती है ;
 - (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियाँ।
 - (3) विश्वविद्यालय निधि किसी भी राष्ट्रकृत बैंक में रखी जायेगी
 - (4) उक्त निधि का संचालन ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत विश्वविद्यालय के कुलपति या कुलसचिव द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा जो कि विनियमों द्वारा विहित किये जाएँ ।

उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपायोजन किया जा सकेगा।

-). (1) विश्वविद्यालय निधि का उपयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये एवं निम्नलिखित क्रम से किया जाएगा।
 - (क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों के प्रति संदाय के लिए ;
 - (ख) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए अध्यापन–विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों, निवास–स्थान तथा छात्र–निवास के अनुरक्षण के लिए
 - (ग) विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के संदाय के लिये
 - (घ) किन्हीं भी ऐसे वाद या कार्यवाहियों के, जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पक्षकार हो, व्ययों के लिए ;
 - (ड़) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों के संदाय के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों को अग्रसर करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अध्यापन विभागों तथा प्राध्ययन केन्द्रों में नियोजित किये गये अध्यापकवृन्द के सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए और किन्हीं भी ऐसे अधिकारियों तथा कर्मचारियों, अध्यापकवृन्द के सदस्यों को या ऐसी स्थापनाओं के सदस्यों को किसी भविष्य निधि के अभिदायों, उपादान तथा अन्य फायदों के संदाय के लिये;
 - (च)* प्राधिकरणों तथा समितियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों, जिन्हें विहित किया जाए, के संदाय के लिए।
 - (छ) विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों के लिए तथा अन्य पुरस्कारों के संदाय के लिये ;
 - (ज) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्य ालय द्वारा उपगत किये गए किन्हीं भी व्ययों के संदाय के लिए ;
 - (झ) पूर्ववर्ती खंडों में से किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट न किये गये किसी ऐसे अन्य व्यय के, जो कि कार्यपरिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए व्यय घोषित किया गया हो, संदाय के लिये ;

- (2) कार्यपरिषद् द्वारा वर्ष के कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय के लिये नियत की गई सीमाओं से अधिक कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना उपगत नहीं किया जाएगा।
- (3) उस व्यय से जिसका कि बजट में प्रावधान किया गया हो, भिन्न कोई भी व्यय विश्वविद्यालय द्वारा कार्यपरिषद् के पूर्व अनुमोदन के बिना, उपगत नहीं किया जाएगा।
- 30. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे कार्यपरिषद् के नि वार्षिक लेखे प्रधीन तैयार किए जाऍगे।
 - (2)* ''विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य क स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाऐगी जो कि 15 मास से अधिक न हो।''
 - (3) राज्य सरकार को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि लेखे की विशिष्ट संपरीक्षा की जाए ;
 - 4)* संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी तथा उसे विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।
- 31. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति द्वारा प्र वार्षिक रिपोर्ट की जायेगी।
 - (2)* तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- - (3) अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी। रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा उसके प्राप्त होने के यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय – छः

समन्वय समिति, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

कुलपति समन् समिति का सदस्य होगा

32. इस विश्वविद्यालय का कुलपति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973(क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 34 के अधीन गठित समन्वय समिति का सदस्य होगा।

परिनियम

33. इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए परिनियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्—

- (क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य जिन्हें समय—समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाय ;
- (ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किये गये निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि जिसके अंतर्गत प्रथम सदस्यों का पद बना रहना तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना आता है और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक तथा वांछनीय हों ;
- (ग) कुलपति की उपलब्धियाँ और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें, उसकी शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य ;
- (घ) कुलसचिव एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की शक्तियाँ तथा कर्त्तव्य और उनकी सेवा की शर्ते;
- (ड़) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्यनिधि का गठन और बीमा स्कीम की स्थापना तथा उपादान एवं अन्य फायदों का उपबंध;
- (च) उपाधियाँ प्रदान करने के लिये दीक्षांत समारोह किया जाना;
- (छ) सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (ज) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा विद्या—संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण ;
- (झ) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संकायों, छात्र—निवासों, महाविद्यालयों, अध्यापन—विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों तथा संस्थानों का स्थापन तथा उनकी समाप्ति ;
- (ञ) वे शर्तें जिनके अधीन महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का प्रत्याहरण;
- (ट) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों, प्राध्ययन केन्द्रों या महाविद्यालयों को प्राप्त हो सकने वाली स्वायत्तता की सीमा और वे विषय जिनके कि संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकेगा;
- (ठ) संबंद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यो, प्राध्यापकों तथा अन्य अध्यापकों की अर्हतायें ;
- (ड)विन्यासों (एण्डाउमेंट्स) का प्रबंध और अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्रसहायता वृत्तियों (एबजीबिशन्स), वजीफों (बर्सरीज), पदकों, पारितोषिकों तथा अन्य पुरस्कारों का संस्थित किया जाना ;
- (ढ) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वरिष्ठता, निर्धारण की प्रक्रिया का ढंग;
- (ण) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का बनाये रखा जाना ;
- (त) हिंदी प्रकाशन तथा अनुवाद ब्यूरो की स्थापना तथा गठन ; और

- (थ) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम के अनुसार और परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने है ;
- 34. (1) प्रथम परिनियम राज्य शासन द्वारा बनाया जा^{, परिनियम कैसे} राज्य शासन प्रथम परिनियम में यथा आवश्यक संशोधन करेगा।
 - (2) प्राधिकारी इसके पश्चात् आने वाली रीति में किसी परिनियम को समय—समय पर बना सकेगी उसे संशोधित या निरस्त कर सकेगी।
 - (3) प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या अन्यथा परिनियम के प्रारूप पर विचार करेगी ; परंतु यह खण्ड विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव व अन्य अधिकारियों की परिलब्धियों पर प्रभाव डालने वाले परिनियम पर लागू नहीं होगा।
 - (4) इस खण्ड के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप कार्यपरिषद् को विचार हेतु भेजा जाएगा और कार्यपरिषद् द्वारा व्यक्त ऐसे विचार जो कि ऐसे समय के भीतर जो कुलाधिपति तय करे व तीस दिन से कम न हो, कुलाधिपति प्रारूप को परिवर्तित या अपरिवर्तित स्वरूप में अनुमोदित कर सकेगा।
 - (5) जहाँ प्रारूप कार्यपरिषद् द्वारा प्रस्तावित किया गया हो वहाँ कुलाधिपति ऐसे प्रारूप को अनुमोदन कर परिनियम को पारित कर सकेगा या उसे अस्वीकार कर पूर्ण रूप से या अंशतः उसमें संशोधन के सुझाव सहित कार्यपरिषद् को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकेगा।
 - (6) इसके पश्चात् कि उपखण्ड(5) के अधीन वापस किये गये किसी प्रारूप पर तथा कुलाधिपति द्वारा सुझाये गये किसी संशोधन पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जा चुका हो, वह कार्यपरिषद् की तत्संबंधी प्रतिवेदन को कुलाधिपति के समक्ष पुनः उपस्थापित किया जावेगा और कुलाधिपति परिनियम को अनुमोदित कर सकेगा या अस्वीकार कर सकेगा।
 - (7) कुलाधिपति किसी परिनियम के या परिनियम के किसी संशोधन के या किसी परिनियम के निरसन के ऐसे प्रारूप पर, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव डालता हो, विचार तब तक नहीं करेगी और कार्यपरिषद् उस प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्थापना पर राय प्रकट करने का अवसर न दे दिया गया हो।
- (8) जहाँ कुलाधिपति परिनियमों को अनुमोदित कर दे, वहाँ वे उस तारीख से प्रभावी हो जावेगे जिसे कि कुलाधिपति विनिर्दिष्ट करे। 35. (1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के विषयों रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे अर्थात् —
 - (क) छात्रों का प्रवेश, कक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं उसके शुल्क, उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र व अन्य पाठ्यक्रमों हेतु अर्हताऍ,

छात्रवृत्ति, पुरस्कार व अन्यों के लिए शर्तें ;

- (ख) परीक्षाओं के संचालन जिसमें परीक्षकों एवं अनुसमीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें सिम्मिलित हैं ;
- (ग) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किये जा सके।
- (2) प्रथम अध्यादेश राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से कुलपति द्वारा बनाया जावेगा और ऐसा अध्यादेश, कार्यपरिषद् द्वारा किसी समय जैसा कि परिनियमों में निहित किया जावे संशोधित, निरसित या बदला जा सकेगा।

विनियम

- 36. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अपने स्वयं के या कोई समिति जिसका उसने गठन किया है और जिसके कामकाज हेतु अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश में प्रावधान न हो परिनियम के अनुसार अपने कामकाज हेतु विनियम बना सकेगा जो कि अधिनियम, परिनियम व अध्यादेश से संगत हों।
 - (2) ऐसा बनाया गया विनियम कुलाधिपति के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जावेगा व अनुमोदन की तिथि से प्रभावशील होगा।

अध्याय – सात विद्यार्थियों का प्रवेश एवं परीक्षकों की नियुक्ति

विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश

37. कोई भी विद्यार्थी किसी उपाधि या पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसके पास ऐसी अर्हताएँ न हो जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएँ।

परीक्षक तथा अनुसमीक्षकों (माडरेटर्स की नियुक्ति)

- 38. (1) परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समस्त परीक्षक तथा परीक्षा के प्रश्नों के अनुसीमक(माडरेटर्स) कुलपति द्वारा उस समिति के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे, जिसमें कि निम्नलिखित सदस्य होंगे —
 - (एक) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष जो उस समिति का अध्यक्ष होगा ;
 - (दो) संबंधित अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष ;
 - (तीन) संबंधित अध्ययन बोर्ड का एक सदस्य जो उस प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - (2) यदि परीक्षा के दौरान कोई परीक्षक किसी कारण से उस रूप में कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो कुलपति उस रिक्ति को भरने के लिये परीक्षक की नियुक्ति करेगा।

अध्याय – आठ विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों पर नियुक्ति

- 39. (एक) कोई भी व्यक्ति आचार्य, उपाचार्य या व्याख्याता के रूप में ; या
 - (दो) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन पद पर धारा 40 की उपधारा (1) के अनुसार गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश पर ही नियुक्त किया जायेगा अन्यथा नहीं। परंतु यदि पूर्वोक्त अध्यापन पदों में से किसी भी पद पर की गई नियुक्त के छः मास से अधिक काल तक चालू रहने की प्रत्याशा न हो और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित विभाग या संस्था के हित के उपाय के बिना उसमें विलम्ब न किया जा सकता हो, तो कार्यपरिषद् धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन गठित की गई प्रवरण समिति की सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना ही ऐसी नियुक्ति कर सकेगी, किंतु इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति को प्रवरण समिति की सिफारिश पर के सिवाय, उसी पद पर छः मास से अधिक की कालाविध के लिये नहीं रखा जायेगा या विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- 40. (1) प्रवरण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे— प्रवरण समिति
 - (एक) कुलपति अध्यक्ष
 - (दो) संबद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग / केन्द्र का प्रमुख यदि वह आचार्य है या जहाँ संबद्ध विषय में विश्वविद्यालय विभाग का प्रमुख आचार्य नहीं हो या आचार्य के पद के लिए प्रवरण किया जाना हो तो संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष
 - (तीन) विषय में तीन विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से एक विशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संशक्त न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा।
 - (चार)* तीन विषयविशेषज्ञ जो किसी भी रीति में विश्वविद्यालय से संबंधित न हो, कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।
 - (2)प्रवरण समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।
 - (3)सिमति विभिन्न अभ्यार्थियों के गुणागुण का अन्वेषण करेगी और कार्यपरिषद् को उन व्यक्तियों के जिन्हें कि वह पदों के लिए उपयुक्त समझती हो नामों की यदि कोई हो ; उन्हें गुणानुकम में लगाकर सिफारिश करेगी।

परंतु कोई भी सिफारिश तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस सिम्मलन में, जिसमें कि ऐसी सिफारिश के बारे में विनिश्चय किया जाए उपधारा (1) के खंड (तीन) तथा (चार) के अधीन नाम निर्देशित किए गए विशेषज्ञों में से कम से कम दो विशेषज्ञ उपस्थित न हों।

- (4)कार्यपरिषद् उपधारा(3) के अधीन इस प्रकार सिफारिश किए गए नामों से व्यक्तियों की नियुक्ति **गुणानुक्रम के अनुसार होगी।
- 41. विश्वविद्यालय के अध्यापकों के जिन्हें कि विश्वविद्याल वित्तन वित्या जाता है, उन वेतनमानों के अनुसार होगा जो कार्यपरिषद् द्व ारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यादेश द्वारा नि गए हो ;

अध्याय – नौ आपात उपबंध

- - (2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, प्रथमतः ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, एक वर्ष का कालावधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय—समय पर वैसी ही अधिसूचना द्वारा
- * संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 दिनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। ** संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2008 (क्रं. 19 सन् 2008). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 290 दिनांक 6 सितम्बर 2005 में मुद्रित।

प्रवर्तन की कालाविध को ऐसी और कालाविध के लिये जैसी कि वह उचित समझे बढ़ा सकेगी, परंतु प्रवर्तन की कुल कालाविध तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालाविध के दौरान, राज्य सरकार के कार्यपालिक प्राधिकार का विस्तार उस सीमा तक रहेगा कि वह कथित विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश दे कि वह वित्तीय औचित्य के ऐसे नियमों का, जो कि निर्देश में विनिर्दिष्ट हो, अनुपालन करे और ऐसे अन्य निर्देश दे, जिन्हें राज्य सरकार उस प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त समझे।
- (4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ऐसे निर्देश के अंतर्गत कोई ऐसा उपबंध आ सकेगा। (एक)जिसमें यह अपेक्षा की जाये कि बजट मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाय ;
- (दो) जिसमें विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा की जाये कि वह प्रत्येक ऐसी प्रस्थापना, जिसमें वित्तीय विवक्षाएँ अंतर्वलित होती हो, मंजूरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करे;
- (तीन) जिसमें यह अपेक्षा की जाये कि विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों के वेतनमान तथा भत्तों की दरों के पुनरीक्षण संबंधी प्रत्येक मंजुरी के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाय;
- (चार)जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि विश्वविद्यालय की सेवाओं में के समस्त व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के वेतनों तथा भत्तों में कमी की जाए;
- (पाँच) जिसमें यह अपेक्षा की जाए कि वेतनमानों को तथा भत्तों की दरों को नीचा किया जाए;

परंतु कुलाधिपति यदि आवश्यक समझे शिक्षाविद् तथा प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञ को लेकर एक समिति नियुक्त करेगा जो कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों के पालन में सहायता कर सकेगा।

- (5) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्राधिकारी तथा विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी के लिये यह आबद्धकर होगा कि वह इस धारा के अधीन दिये गये निर्देश को कार्यान्वित करे।
- (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी इस धारा के अधीन दिये गये निर्देश के अनुपालन के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की किसी निधि या सम्पत्ति के दुरूपयोजन के लिये जिसका कि वह एक पक्षकार रहा हो या जो ऐसे अधिकारी के रूप में उसके कर्त्तव्यों की घोर उपेक्षा के कारण घटित हुआ हो, वैयक्तिक रूप से दायी होगा और इस प्रकार उपगत हुई हानि, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र पर, ऐसे अधिकारी से भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

परंतु हानि की रकम भू—राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किये जाने की कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित व्यक्ति को न दे दिया गया हो, और ऐसे स्पष्टीकरण पर राज्य सरकार द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

- 43. (1) यदि राज्य सरकार को किसी रिपोर्ट के प्राप्कित्य पिरिस्थितियों में अन्यथा यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन, विश्वविद्यालय के लिये उपबन्ध करने की वृष्टि का उपाय किये बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, और यह कि वैसा करना विश्वभे अधिनयम को विणित किये जाने वाले कारणों से यह निर्देश दे सक्किरने की राज्य सरकार। 11, 22 तथा 25 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारी निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुऐ लागू होंगे।
 - 2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार, समय—समय पर उस कालावधि में ऐसी और वृद्धि जैसी कि वह उचित समझें, इस प्रकार कर सकेगी कि जिससे अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्ष से अधिक न हो जाय।
- (3) कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी किये जाने के साथ—साथ कुलपति को यथा उपान्तरित धारा 11 तथा 12 के अधीन नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया कुलपति अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान पद पर रहेगा।

परंतु कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद—धारण किये रह सकेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद—ग्रहण न कर लें, किंतु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात्— (एक)कुलपति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद—धारण किये हुए हो, इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, अपने पद को रिक्त कर देगा।

- (दो) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् के सदस्य के रूप में पद—धारण किये हुए हो उस पद पर नहीं रह जायेगा।
- (तीन) जब तक यथास्थिति, कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का यथा उपान्तरित उपबंधों के अनुसार पुनर्गठन न हो जाए, तब तक कुलपित जो यथाउपान्तरित धारा 12 तथा13 के अधीन नियुक्त किया गया हो, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किए गये हों।

परंतु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा जिसमें कि एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे।

(5) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति, अधिनियम के अनुपान्तरित उपबंधों के अनुसार, कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही

* संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 विनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद् अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को, जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इन दोनों में से जो भी पश्चातवर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी।

परंतु यदि कार्यपरिषद् तथा विद्यापरिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाय तो कुलपति ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए उस समय तक करेगा जब तक कि यथास्थिति कार्यपरिषद् या विद्यापरिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाय।

परिणाम जो धारा 43 के अधीन अधिसूचना के प्रर्वतन की कालावधि का अवसान होने पर

44. धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर, इस अधिनियम के उपबंध जैसे कि वे अधिसूचना में वर्णित विश्वविद्यालय को लागू होने के संबंध में उपान्तरित किये गये हैं, उसके संबंध में प्रवृत्त नहीं रहेंगे और इस अधिनियम के अन्य सुसंगत उपबंध पुनः प्रवर्तित हो जायेंगे तथा उसको लागू रहेंगे।

परंतु अधिसूचना के प्रवर्तन के अवसान का -

- (क) यथा उपान्तरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर या उन उपबंधों या उस आदेश के अधीन की गई या होने दी गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या
- (ख) यथाउपान्तरित उपबंधों या उनके अधीन किये गये किसी आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार,

विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; या

(ग) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा अन्वेषण या उपचार इस प्रकार संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो कि उपान्तरित उपबंधों का लागू होना समाप्त नहीं हुआ हो।

> अध्याय – दस अनुपूरक उपबंध

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों का गठन संबंधी विवाद

45. यदि किसी अधिनियम या किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन के संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, कोई प्रश्न उद्भूत हो जाय तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

परंतु कोई ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व कुलाधिपति, स्वयं या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी प्रभावित हुए व्यक्ति या व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा में अभिव्यक्त निकाय के अंतर्गत इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित की गई कोई समिति आती है।

स्पष्टीकरण 2 — इस धारा में अभिव्यक्त नियुक्त किया गया के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वैतनिक पदों पर की गई नियुक्तियाँ नहीं आऍगी।

- 46. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधि रिनयमों द्वारा समितियों नियुक्त करने की शक्ति दी गई हो, वहाँ उन समितियों में, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारा क सदस्य तथा ऐसे अन्य व्यक्ति यदि कोई हो जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे होंगे।
- 47. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्व^{का भरा जाना} किसी प्राधिकारी समिति या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में हुई समस्त आकिस्मक रिक्तियाँ यथाशक्य शीघ्रता से उस व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएँगी जिसने कि उस व्यक्ति को नाम निर्देशित, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया हो और किसी आकिस्मक रिक्ति पर इस प्रकार नाम निर्देशित ; नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया गया व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी समिति या निकाय का उस अविध के शेष काल के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिये कि वह व्यक्ति जिसके स्थान की उसने पूर्ति की हो, सदस्य रहा होता।

- 48. विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी, समिति या निव्^{विश्वविद्यालय तथा} वाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—
 - (क) उसमें कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुि^{कार्यवाहीयाँ} रिक्तियों
 - (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी^{नहीं होगी} नेर्वाचन, नाम—निर्देशन या नियुक्ति में त्रुटि है ; या
 - (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव न डालती हो।
- 49. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक वैतनिक अधिकारी या ^{सेवा की शर्ते} जिसे कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, लिखित संविदा के अधीन जो कि विश्वविद्यालय में रखी जायेगी, नियुक्त किया जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जायेगी।
 - (2) सेवा संबंधी मामले से संबंधित कोई विवाद जो किसी विश्वविद्यालय और उसके वैतनिक कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के बीच हुई किसी संविदा से या अन्यथा उद्भूत होता है, कुलपित द्वारा न्यायिनणीत किया जायेगा और कुलपित के विनिश्चय के विरूद्ध कोई अपील कुलाधिपित को होगी, जो विवाद को स्वयं विनिश्चय करेगा या उसे उस प्रयोजन के लिये गिठत किसी ऐसे अधिकरण को निर्देशित करेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—
 - (एक)* सचिव, उच्च शिक्षा
 - (दो) कोई व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या कुलपति रह चुका हो ;
 - (तीन) कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार का सचिव हो या सचिव रह चुका हो।

^{*} संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 विनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय में —

⁽क) तब तक शिक्षण नहीं देगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति विद्यापरिषद् द्वारा उस संबंध में निर्धारित की गई अर्हतायें न रखता हो ; और

⁽ख) ऐसे विषय या विषयों में तथा उसी स्तर तक जिसके लिये विद्यापरिषद् ने उसकी अर्हतायें अनुमोदित की हों, शिक्षण देगा, इसके सिवाय नहीं।

विश्वविद्यालय के सदस्य या अधिकारी का त्याग-पत्र

- 51. (1) *कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या किसी अन्य विश्वविद्यालयीन प्राधिकारी या समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का संकायाध्यक्ष कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा तथा त्यागपत्र कुलसचिव द्वारा पत्र प्राप्त किए जाने के समय से ही प्रभावशील हो जायेगा।
 - (2) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से भिन्न कोई भी अधिकारी चाहे वह वैतनिक हो या अन्यथा हो, कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा अपना

पद त्याग सकेगा। ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको कि वह उस प्राधिकारी द्वारा प्रतिगृहीत कर लिया जाय जो कि रिक्ति को भरने के लिए सक्षम हों।

प्राधिकारी का सदस्य होने के लिये निरर्हता

- (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्हित होगा—
 - (क) यदि वह विकृत चित्त का हो ;
 - (ख) यदि वह बहरा हो, मुक हो या किसी सासर्गिक रोग से पीड़ित हो;
 - (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो ;
 - (घ) यदि वह किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें कि नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो।
- (2) यदि इस संबंध में कि क्या कोई व्यक्ति उपधारा (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता के अध्यधीन है या रहा था कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह प्रश्न कुलाधिपति के विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जायेगा और उस पर उसका (कुलाधिपति का) विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी भी विधि न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी य । निकाय में से किसी सदस्य को हटाने को शक्ति

(1) कुलाधिपति कार्यपरिषद् के निवेदन पर किसी भी व्यक्ति का नाम विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता पर से हटा सकेगा यदि वह —

(एक)घोर कदाचार का दोषी हो ; या

- (दो) ऐसा कार्य करता हो जो विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो। परंतु राज्य सरकार, प्रारंभिक जांच करवायेगी तथा यदि उसका यह समाधान हो जाये कि प्रथम दृष्टया मामला बनता हो आरोप—पत्र की तामील करेगा जिसमें यथास्थिति कदाचार का या विश्वविद्यालय के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य का विवरण रहेगा।
- * संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम 2005 (क्रं. 15 सन् 2005). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 194 विनांक 25 अगस्त 2005 में मुद्रित। (2) आरोप—पत्र के उत्तर पर जो कि उसके पास यथास्थिति विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या निकाय के सदस्य द्वारा उपधारा(1) के

अधीन भेजा गया हो, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति यदि वह समझता है कि आगे कि कार्यवाही आवश्यक है जॉच ऐसे अधिकरण को न्यस्त कर सकेगा जिसमें राज्य सरकार का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति कार्यपरिषद् का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तथा सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जैसा भी कि दशा हो, का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा।

- अधिकरण सदस्य को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे साक्ष्य की जो आवश्यक हो परीक्षा करने के पश्चात् अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और कुलाधिपति की ओर अग्रेषित करेगा।
- कुलाधिपति अधिकरण की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे अंतिम आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझें। (4) परंतु कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक सदस्य को यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि उसके विरूद्ध प्रस्थापित कार्यवाही क्यों न की जाए।
- उपधारा (1) से (4) तक के उपबंध उस दशा में लागू नहीं होंगे जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्य (5) ालय के हित में यह समीचीन नहीं है कि उसके द्वारा नाम निर्देशित किए गए किसी सदस्य को हटाए जाने के पूर्व ऐसी जॉच की जाए और उसके कोई कारण दर्शाने की सूचना जारी की जाए या उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए। 54. विश्वविद्यालय के प्रबंध तथा प्रशासन से संबंधित सभी निष्पादन कार्यपरिषद् द्वारा की गई कही जाएगी और उसका निष्पादन कुलसचिव
- द्वारा किया जाएगा।
- 55* विलोपित
- 56* विलोपित
- 57. यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् विश्विवि_{निराकरण} किसी प्राधिकारी के प्रथम गठन या पुनर्गठन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में को ू 👊 । उं उद्भूत हो तो राज्य सरकार अवसर द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आदेश द्वारा कोई भी ऐसा भी कार्य कर सकेगी जो कि कठिनाई के निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हो।

रायपुर, दिनाक 24 जनवरी 2005

कमांक 641/21—अ/प्रारूपण/04,— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क. 24 सन् 2004) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाना है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप—सचिव

* संशोधन छत्तीसगढ़ अधिनियम २००५ (क्रं. 15 सन् २००५). छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १९४ — दिनांक २५ अगस्त २००५ में मुद्रित। अनुसूची (धारा ४३ देखिए)

कुलपति की नियुक्ति 1 — 11 कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा।

कार्यपरिषद 2 — 22(1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात :—

(1) कुलपति अध्यक्ष

(2) प्रमुख सचिव / सचिव जनसंपर्क विभाग सदस्य

(3) प्रमुख सचिव / सचिव वित्त विभाग सदस्य

(4) प्रमुख सचिव / सचिव उच्च शिक्षा विभाग सदस्य

(5) एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा सदस्य

(6) कुलसचिव सचिव

- (2) कार्य परिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार रहेगा धारा 34 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवंतन की कालावधि तक रहेगा।
- (3) कार्यपरिषद के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

विद्या परिषद् 3 – 25(1) विद्यापरिषद का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात:-

(1)कुलपति अध्यक्ष

(2) कुलसचिव सचिव

- (3)विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के सदस्य दो क्षिक्षक जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे
- (4)एक शिक्षाविद जो कुलाधिपति द्वारा सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
- (2) विद्यापरिषद के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्धन की कालावधि तक रहेगा।

CHHATTISGARH ACT (No. 24 of 2004)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY ACT, 2004

CLAUSE CHAPTER 1 PRELIMINARY

- SHORT TITLE AND COMMENCEMENT
- 2 DEFINITIONS

CHAPTER 2 THE UNIVERSITY

- 3 INCORPORATION AND ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY
- 4 OBJECTS OF THE UNIVERSITY
- 5 POWERS OF THE UNIVERSITY
- PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN ALL MATTERS CONNECTED WITH THE UNIVERSITY
- 7 TEACHING IN THE UNIVERSITY
- 8 INSPECTION OF THE UNIVERSITY AND COLLEGES

CHAPTER 3 OFFICERS OF THE UNIVERSITY

9 OFFICERS OF THE UNIVERSITY

- 10 THE KULADHIPATI AND HIS POWERS
- 11 APPOINTMENT OF KULPATI
- EMOLUMENTS AND CONDITIONS OF SERVICE OF KULPATI
- POWERS AND DUTIES OF KULPATI
- 14 REGISTRAR
- 15 OTHER EMPLOYEES

CHAPTER 4 AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

- AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY
- 17 CONSTITUTION OF GENERAL COUNCIL OMETTED
- 18 CHAIRMAN AND SECRETARY OMETTED
- TERMS AND CONDITIONS OF MEMBERS OF GENERAL COUNCIL OMETTED
- POWER AND DUTIES OF GENERAL COUNCIL OMETTED
- CONSTITUTION OF STANDING COMMITTEE
 - OR ADHOC COMMITTEE BY THE GENERAL
 - COUNCIL OMETTED
- EXECUTIVE COUNCIL
- POWERS AND DUTIES OF EXECUTIVE COUNCIL
- FINANCE COMMITTEE
- 25 ACADEMIC COUNCIL

- POWERS OF ACADEMIC COUNCIL
- BOARD OF STUDIES

CHAPTER 5 FINANCE

- 28 UNIVERSITY FUND
- OBJECTS TO WHICH UNIVERSITY FUND MAY BE APPLIED
- 30 ANNUAL ACCOUNTS AND AUDIT
- 31 ANNUAL REPORT

CHAPTER 6 CO-ORDINATION COMMITTEE, STATUTE, ORDINANCE AND REGULATION

- KULPATI SHALL BE THE MEMBER OF COORDINATION COMMITTEE
- 33 STATUTE
- HOW STATUTES SHALL BE FRAMED
- 35 ORDINANCE
- 36 REGULATION

CHAPTER 7 ADMISSION OF STUDENT AND APPOINTMENT OF EXAMINER

- ADMISSION TO UNIVERSITY COURSE
- 38 APPOINTMENT OF EXAMINERS AND MODERATORS

CHAPTER 8 APPOINTMENT TO TEACHING POSTS IN THE UNIVERSITY

- 39 APPOINTMENT IN TEACHING POSTS
- 40 SELECTION COMMITTEE
- SALARIES OF TEACHERS

CHAPTER 9 EMERGENCY PROVISIONS

- STATE GOVERNMENT TO ASSUME FINANCIAL CONTROL IN CERTAIN CIRCUMSTANCES
- POWERS OF STATE GOVERNMENT TO APPLY ACT IN MODIFIED FORM WITH A VIEW TO PROVIDE FOR BETTER ADMINISTRATION OF UNIVERSITY IN CERTAIN CIRCUMSTANCES
- EFFECT ON EXPIRATION OF THE PERIOD OF OPERATION OF NOTIFICATION UNDERSECTION 43

CHAPTER 10 SUPPLEMENTARY PROVISIONS

- DISPUTE AS TO CONSTITUTION OF UNIVERSITY AUTHORITIES AND BODIES
- 46 CONSTITUTION OF COMMITTEES
- FILLING UP OF CASUAL VACANCIES
- PROCEEDINGS OF UNIVERSITY AND BODIES NOT INVALIDATED BY

	VACANCIES
49	SERVICE CONDITIONS
50	PROTECTION OF ACTS AND ORDER
51	RESIGNATION OF MEMBER OR OFFICER OF UNIVERSITY
52	DISQUALIFICATION FOR BEING MEMBER OF AUTHORITY
53	POWER TO REMOVE ANY MEMBER FROM AUTHORITY OR BODY
54	EXECUTION OF CONTRACTS
55	HONORARY DEGREES
56	TRANSFER OF PROPERTY
57	REMOVAL OF DIFFICULTIES
	CHHATTISGARH ACT

(No. 24 of 2004)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY ACT, 2004

An Act to establish Chhattisgarh Kushabhau Thakre University of Journalism and Mass-communication.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty fifth year of the Republic of India, as follows:-

Chapter-1-Preliminary

Short title and commencement 1.

- 1. (1) This Act may be called Kushabhau Thakre Journalism and Mass Communication University Chhattisgarh Act, 2004.
 - (2) It shall come in to force on its date of publication in official gazette.
 - (3) It extends the whole of Chhattisgarh.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
 - (one) "Academic Council" means Academic Council of the University;
 - (two) "Board of Studies" means Board of Studies of the University;
 - (three) "College" means Institution maintained by, or admitted to the privileges of the University by or under the provisions of this Act;
 - (four) "Co-ordination Committee" means coordination committee constituted under section 34 of Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 year 1973);
 - (five) "Department" means School of studies and includes centre of studies;
 - (six) "Employee" means a person appointed by the University and include the teachers and other employee of the University;
 - (seven) "Executive Council" means Executive Council of the University.
 - (eight) "Faculty" means any faculty of the University;
 - (nine) **OMITTED**

- (ten) "Head of the Department of College" means head of any department of a College;
- (eleven) "Head of the Department of University" means the head of a teaching department of the University for imparting education to the students of the University and includes the Director or Principal of any college or Institute maintained by the University for the promotion of research or for imparting instructions to the students;
- (twelve) "Kuladhipati" means Kuladhipati of the University;
- (thirteen) "Kulpati" means Kulpati of the University;
- (fourteen) "Persons Connected with the University" means any employee, of the University or member of any authority or body of the University or Management of the College;
- (fifteen) "Principal" means the Head of the College and include, appointed to act as Principal;
- (sixteen) "Registered Graduate" means a graduate who has been registered or is deemed to have been registered under provisions of this act;
- (seventeen) "Registrar" means Registrar of the University;
- (eighteen) "Scheduled Caste" means the scheduled caste as specified in relation to this state under Article 341 of the Constitution of India "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe specified in relation to this state under section 342 of the Constitution of India;
- (nineteen) "School of Studies" means an institution maintained by the University as a place of

- higher learning and research;
- (twenty) "Statute, Ordinance and Regulation" means the statute, Ordinance and Regulation of the University;
- (twenty one) "Student Hostel" means residential place for students of the University, College or Institution of a unit of corporate life, which has been maintained, or recognized by the University;
- (twenty two) "Teacher of the university" means professor, reader, lecturer and such other person as may have been appointed for imparting instructions or conducting research, with the approval of Academic Council in the University or any College or any Institution maintained or recognized by the University;
- (twenty three) "University" means Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya.
- (twenty four) "University Grant Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act; 1956 (No.3 of 1956).

Chapter II University

(1) * University shall be established in the name of Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar

Incorporation (3) and establishment of the University

⁽³⁾ shwavidyalaya.

The University shall be a corporate body, which shall have the Kuladhipati, and members of *Executive Council, Academic Council and, all persons who may hereafter become such officers or members thereof so long as they continue to hold such office or membership.

- (2) The university shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.
- (3) Subject to the provisions of this Act, the University shall be competent to acquire and hold property, both movable or immovable, which may have become vested in, or may have been acquired by it for the purposes of the University and to contract and do all other things necessary for the purpose of this Act.
- (4) In all the suits filed by or against the University and any legal action, the pleading shall be signed by Registrar and in such suits and actions all the directives shall be issued and served to Registrar.
- (5) The University shall have its head quarter at Raipur.

Objects of the University

- (4) The University shall have the following objectives:-
- (1) develop the University as a National Centre of teaching, training and research in the area

- (2) Prepare professional manpower to meet out the requirement of the above said areas.
- (3) develop proper technology for communication in rural and tribal areas through research, training and publication.
- (4) Develop entrepreneurs with specialization.
- (5) give special attention to the marginalized groups of the society specially, Woman, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes.
- (6) Make all necessary provisions in order to achieve the above said objectives.

 Subject to the provisions of this Act, the University shall have the following power, namely:-
- (one) for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine, make provision for research advancement and dissemination of knowledge;
- (two) organize laboratories, libraries, museums and other equipment for teaching and research;
- (three) establish, maintain and manage Colleges, Teaching departments, Schools of Studies,

Powers of the University

5

Study Centres and, Hostels;

- (four) (a) create posts of Professors, Readers, Lecturers and any other academic or teaching posts required by the University and to appoint persons to such posts;
 - (b) appoint persons working in any other university or organization as teachers of the University for specified period;
- (five) recognize teachers as qualified for teaching;
- (six) give recognition to eminent persons of any subject so that they may give guidance in research;
- (seven) lay down the courses of instruction for various examinations;
- (eight) institute degrees, diplomas certificates and other academic distinctions;
- (nine) grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing provided that no person shall be admitted to an examination leading to any degree or diploma of the University unless such persons, if he had offered a subject for such examination for which a course of practical work as prescribed has completed such work in a College, University Teaching

Department or Study centre and produces a certificate of such completion from the head of the teaching department or School of Studies, Study Centre or the Principal of the College;

- (ten) confer degrees and other academic distinctions on persons who have carried on research under conditions laid down in Ordinance;
- (eleven) withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (twelve) confer honorary degrees or academic distinction;
- (thirteen) admit privilege or to withdraw all or any specific privilege;
- (fourteen) declare teaching Department of the University, School of Studies or Colleges as autonomous College;
- (fifteen) conduct, coordinate and regulate central teaching and research work in the colleges and institutions recognized by the University,
- (sixteen) recognize hostels not maintained by the University and withdraw any such recognition;
- (seventeen) inspect Colleges or recognized institutions and take measures to ensure that proper

standards of instructions, teaching and training are maintained;

- (eighteen) promote with special care the educational interests of the weaker sections society and in particular scheduled caste, scheduled tribe and other backward class;
- (ninteen) provide facilities of refresher and vocational courses to the teachers and alumni of the University;
- (twenty) cooperate and collaborate with other universities and authorities in such manner for such purposes as the University may determine;

(twenty one) make provisions for;

- (a) extra mural teaching and extension services;
- (b) distance teaching;
- (c) physical training;
- (d) activities related to games and exercise;
- (e) social service schemes;
- (f) national cadet corps;

(twenty two) institute and manage;

(a) information bureau;

- (b) employment bureau;
- (c) printing, publication department and, translation bureau;
- (twenty three) supervise and control residence, conduct and discipline of students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(twenty four) demand and receive fees and other charges;

(twenty five) regulate fees and other charges recoverable by colleges;

(twenty six) create administrative and other necessary posts;

- (twenty seven) control over the salaried officers, teachers and other employee of the University;
- (twenty eight) hold and manage trusts and endowments, institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, bursaries, medals and other awards,
- (twenty nine) receive donation and grants, invest funds in accordance with the provisions of this Act;
- (thirty) borrow money on the security of University property or Government security for the purposes of the University; with the prior approval of the State Government;
- (thirty one) determine standard for admission to the University which may include examination, evaluation or any other method of testing;

- (thirty two) make special arrangement in respect of women students;
- (thirty three) make arrangement for promoting the health and general welfare of the employees;
- (thirty four) purchase any land, building or works that are necessary or convenient for the University under prescribed terms and conditions to take land on lease or accept donation, or to construct or to modify any building or works subject to approval of the State Government;
- (thirty five) sell, exchange transfer on lease or dispose off any movable, or immovable property or any part of the University;
- (thirty six) close down any class or department of the University;
- (thirty seven) make agreements with Central Government, State Government, University Grants Commission and authorities for procurement of grants;
- (thirty eight) perform all such acts and matters as expected, whether they are incidental to the powers aforesaid or not, so that the objects of the University are promoted;
- 6. The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religions, race, caste, sex, place of birth, language or any one of these in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

Prohibition of discrimination in all matters connected with the University Teaching in the University

7. All recognized teaching in the University course, the authorities responsible for organizing such teaching courses and curriculum shall be such as may be prescribed by Statute, Ordinance or Regulation as the case may be.

Inspection of the University and Colleges 8.

- (1) The Kuladhipati may, on his own motion and shall on a request made by the State Government cause an inspection to be made by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, museums workshops and equipments and of any college or Institution maintained by the University or admitted to its privileges and also of the Examinations, teaching and other work conducted or done by the University and cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finance of the University, Colleges or Institutions.
- (2) The Kuladhipati shall, in such case, give notice of his intention to cause an inspection or inquiry to be made-
 - (a) to the University, if such inspection or inquiry is to be made in respect of the University, College or Institution maintained by it;
 - (b) to the management of the college or institution if the inspection or inquiry is to be made in respect of a college or institution admitted to the privileges of the University, and

the University or management, as the case may be, shall be entitled to appoint a representative who shall have right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(3) Such person shall report to the Kuladhipati the result of such inspection or inquiry and the Kuladhipati shall communicate through Kulpati to the Executive Council of the university or the management of the college, as the case may be, his views with reference to the result of such inspection or inquiry and shall, after ascertaining the opinion of the Executive Council or the management thereon advise the University or the management about the action to be taken;

Provided that where an inspection or inquiry is caused on request of the State Government the Kuladhipati shall take action in consultation with the State Government.

(4) The Executive Council or the management as the case may be, shall communicate such action if any, as it has taken or may propose to take upon the result of such inspection or inquiry through Kulpati to the Kuladhipati such action, and such report shall be submitted

within such time as the Kuladhipati may direct.

(5) Where the Executive Council or the management ,fail to take action within a reasonable time, to the satisfaction of the Kuladhipati , the Kuladhipati may, after considering explanation furnished or representation made by the Executive Council or the management, after consultation with the State Government issue, such directions as he may think fit and the Executive Council or management as the case may be, shall comply with.

Chapter III

Officers of the University

Officers of the University

- 9. The following shall be officers the University namely
 - (one) the Kuladhipati
 - (two) Kulpati
 - (three) Registrar
 - (four) Finance officer
 - (five) such other officers in the service of the University as may be declared by Statute to be

officers to the University.

The Kuladhipati and his powers 10.

- (1) The Governor of the Chhattisgarh shall be the Kuladhipati of the University;
- (2)* The Kuladhipati shall be an honorary officer by virtue of his office, and shall When present, shall preside the convocation of the University.
- (3) The Kuladhipati may;
 - (a) call for any record or information relating to the affairs of the University; and
 - (b) after reasons to be recorded, refer any matter except a matter falling under section 57, for reconsideration to any officer or authority of the University which has previously considered such matter;
 - (4) The Kuladhipati may, by an order in writing annul
 - (a) any proceedings of any officer, authority committee or body of the University, Constituted by or under this Act, which is not in conformity with this Act, Statute, Ordinance or Regulation or
 - (b) any proceedings of any authority, committee or other body which has been referred to him by Kulpati, if he is satisfied that such proceedings are prejudicial to the

interests of the University:

Appointment of Kulpati

11.

Provided that before making such order he shall call upon the officer, authority committee or body concerned to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within the time specified by him in this behalf he consider the same.

- (5) Where the Kuladhipati passes an order annulling the proceedings under sub section(6), he may make such order in relation thereto in continuity with this Act, statute, Ordinance or Regulation as he may deem fit in the interest of the University and the order so made shall be final.
- (6) Every proposal to confer honoary degree shall be subject to the confirmation of the Kuladhipati.
- (7) The Kuladhipati shall be exercise such powers as may be conferred on him by or under this Act.

(1) Kulapati shall be appointed by the Kuladhipati "under the doctrine of pleasure" after consultation with the State Government from a panel of not less than three distinguished

persons in the field Journalism of related field recommended by the search committee constituted under subsection (2) or subsection (6)

Provided further if the person or persons approved by the Kuladhipati out of those recommended by the search committee are not willing to accept the appointment the Kuladhipati may call for fresh recommendations from such search committee.

- (2) The Kuladhipati shall constitute a search committee consisting of the following persons, namely:-
 - (i) one person recommended by the executive Council;
 - (ii) one person nominated by Chairman of the University Grants Commission;
 - (iii) one person nominated by the State Government.

The Kuladhipati shall appoint them and one of them shall be designated as chairperson of the committee.

(3) for constituting the committee under subsection (2), the Kuladhipati shall, six months before the expiry of the term of Kulpati, call upon the Executive Council, the State Government and Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or

- both of them fail to do so within one month of the receipt of the Kuladhipati's communication in this regard, the Kuladhipati may further nominate anyone or all the persons, as the case may be;
- (4) No person who is connected with the University or any college shall be recommended or nominated on the committee under subsection (2).
- (5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Kuladhipati.
- (6) If for any reason the committee constituted under subsection (2) fails to submit the panel within the period specified in subsection (5), the Kuladhipati shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University or any college, and shall appoint them, and one of them shall be designated as the chairperson. The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of the constitution.
- (7) If the committee constituted under subsection (6) fails to submit the panel within the period specified therein the Kuladhipati may appoint any person he deems fit, to be Kulpati, after

consulation with the State Government.

(8) For newly established University the state Government shall appoint Kulpati from field of journalism, for a period not execeeding *five years and the person so appointed shall constitute Executive council, Academic council and other authorities of the University with in *one year of establishment of the University and till the constitution of above authorities shall be deemed to be the Executive council, Academic council and other authorities of the university and shall use the power and discharge the duties conferred on these authorities under this Act.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient to do so, appoint a Committee after consultation with the State Government consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to aid and advise the Kulpati in exercise of his powers and performance of functions.

- Emoluments and conditions 12. of service of kulpati
- (1) Kulpati shall be a whole time salaried officer of the University and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by Statute.
- (2) Kulpati shall hold office for a term of four years or till he attains the age of 70 years

whichever is earlier and shall not be eligible for appointment for more than two terms.

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed six months.

- (3) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Kuladhipati that Kulpati:-
- (i) has made default in performing any duty imposed on him, by or under this Act; or
- (ii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University; or
- (iii) is incapable of managing the affairs of the University, the Kuladhipati may, notwithstanding the fact that the term of office of Kulpati has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Kulpati to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.
- (4) No order under sub- section (3) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to Kulpti and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

- (5) As from the date specified in the order under sub section (3) Kulpati shall be deemed to have relinquished the office and the office of Kulpati shall fall vacant.
- (6) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of Kulpati by reason of his illness, leave, death, resignation or otherwise Dean of any faculty or the senior most Professor of the University teaching department nominated by the Kuladhipati in consultation with the State Government for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 11, enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Powers and duties of Kulpati 13.

(1) Kulpati shall be principal administrative and academic officer of the University.*He shall be an ex-officio member and chairman of the Executive Council and Academic Council,* and Chairman of such authorities, committees or bodies of the University of which he is a member . He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the University but shall not be entitled to vote unless

he is a member of the authority, committee or body concerned.

- (2) It shall be the duty of Kulpati to ensure that this Act, Statute, Ordinance and Regulation are faithfully observed and he shall have all powers necessary for these purpose.
- (3) Kulpati shall have the power to call the meetings of the Executive Council, Academic Council and such other authority of which he is chairman or delegate his power to any other officer.
- (4) If in the opinion of Kulpati any emergency has arisen which require immediate action to be taken, Kulpati shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that the action taken by Kulpati shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months;

Provided further that where any such action taken by Kulpati affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer within thirty days from the date on which such action is communicated to him an appeal to the Executive Council; Provided also that the power shall not extend to matters regarding amendment in Ordinance, Statute, Regulation or any matter relating to appointments.

- (5) On receipt of a report under subsection (4) if the authority, committee or body concerned does not approve of the action taken by Kulpati it shall refer the matter to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.
- (6) The action taken by Kulpati under subsection (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Kuladhipati on a reference made under subsection (5) or is set aside by the Executive Council or an appeal under the second proviso subsection (4)
- (7) Kulpati shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.
- (8) Kulpati shall exercise such other powers as may be prescribed by Statute, Ordinance or Regulation.
- (9) It shall be the duty of first Kulpati of the University to constitute *Executive council Academic council and other authorties of the University within *one year from the

appointed date.

Registrar

- 14. (1) Registrar shall be a whole time salaried officer of the University and shall discharge his duties under the Act, subject to the general superintendence and control of Kulpati, and shall act as the Secretary of the * Executive Council and Academic Council.
 - (2) The appointment of Registrar shall be done by the Executive Council after approval of the Kuladhipati in accordance with Statute, provided that the appointment of first Registrar shall be done by the State Government.
 - (3) Subject to the powers of the Executive Council Registrar shall, unless provided in Statute, be responsible for ensuring that all money are expended for the purpose for which they are granted or allotted.
 - (4) Unless otherwise provided for by, or under this Act, all contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by Registrar on behalf of the University.
 - (5) Registrar shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on him, by Statute, Ordinance or Regulation.
 - (6) When the post of Registrar falls vacant or in the event of sickness, absence or due to any other reason Registrar is unable to discharge his duties, his duties shall be performed by

person who shall be appointed by Kulpati.

Other employees

15. The appointment of other employees of the University referred to in section 10, shall be made in such manner, and the conditions of their service and powers and duties shall be such as may be prescribed by Statute, Ordinance and Regulation.

Chapter IV

Authorities of the University

Authorities of the University

16. The following shall be the authorities of the University-

(one)*Omitted

(two) Executive Council

(three) Academic Council

(four) Finance committee

(five) Faculties / school of studies

(six) Boards of Studies

(seven) Such other authorities as may be declared by Statute

- 17* Constitution of General Council **Omitted**
- 18* Chairman and Secretary **Omitted**
- 19* Terms and Conditions of members of General Council Omitted
- 20* Powers and duties of General Concil Omitted
- 21* Constitution of Standing Committee or Adhoc-com-mittee by the General Council **Omitted**

Executive Council

- 22. (1) The Executive Council shall be the Executive body of the University and shall consist of following persons, namely:-
 - (one) Kulpati Chairman
 - (two) two scholars related to Journalism

Nominated by the Chief Minister Member

(three)* three members of the legislative assembly nominated by the Speaker; Member

- (four) Principal Secretary/ Secretary,
 Public relations, Member
- (five) Principal Secretary/ Secretary,Finance or his nominee not bebelow the rank of deputy secretary,Member
- (six)Principal Secretary/ Secretary, Higher

 Education or his nominee who shall

 not be below the rank of deputy

 secretary; Member
- (seven) One Dean of Faculty nominated by the Kuladhipati; Member(eight)* OMITTED
- (nine) Two Professors to be nominated by Kuladhipati on rotation basis on

recommendation of the Kulapti Member (ten)Registrar; Member Secretary

- (2) Members of the Executive Council, other than ex- officio members, shall hold the post for two years.
- (3) Five members of the Executive Council shall form the quorum.

Provided quorum shall not be necessary for adjourned meeting that is called on a notice of one hour.

Powers and Duties of the Executive Council

- 23 Subject to the provisions of this Act, Statute, Ordinance, or Regulation, made thereunder, the Executive Council shall have the following powers and perform the following duties, namely:
 - (one) control and administer the Property and funds of the University;
 - (two) administer funds placed at disposal of the University for specific purposes;
 - (three) adopt annual accounts together with Audit report;
 - (four) prepare the annual financial estimate of the University and same * to pass the same.

(five) (a)* OMETTED

- (b) fix the limit for recurring and non-recurring expenditure for the year. (six) Subject to clause (five), at any time during the financial year,
 - (a) reduce the amount of the budget grant;
 - (b) sanction the transfer of any amount within a budgeted grant from one head to another or from a subordinate head under one minor head to a subordinate head under another minor head;
 - (c) sanction the transfer of any amount not exceeding rupees twenty five thousand within a minor head from one subordinate head to another or from one primary unit to another;
- (seven) borrow and lend funds on behalf of the University, provided that funds shall not be borrowed on the security of University property without the prior approval of the State Government.
- (eight) transfer any movable or immovable property on behalf of the University.

Provided that no immovable property of the University shall except with the prior

sanction of the State Government, be transferred by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise;

(nine) enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University exercising the powers and duties assigned to it by Act, or Statute.

(ten)determine the form of common seal of the University, provide custody for, and regulate it.

(eleven) admit colleges to privileges of the University on the recommendation of Academic Council and to withdraw any of these privileges and to take over the management of the colleges in the manner and under the heads prescribed in the Act and Statute.

(twelve) declare Teaching Department of the University, School of Studies or colleges as autonomous colleges, provided that the extent of autonomy which each such teaching department of the University, School of Studies or college may have and the matters in relation to which it may exercise such autonomy, shall be such as may be prescribed by Statute.

(thirteen) make provision for building, premises, furniture, apparatus, books and other means needed for carrying on the work of the University.

(fourteen) accept on behalf of the University, trust, bequests, donation of any movable or immovable property.

(fifteen) manage and regulate the finance, accounts and investments of the University. (sixteen) institute and manage-

- (a) a printing, publication and translation bureau;
- (b) an information bureau; and
- (c) an employment bureau.

(seventeen) make provision for-

- (a) (i) extramural teaching and research;
 - (ii) University extension activities;
 - (iii) Distance teaching
- (b) (1) Physical training;

- (2) Students welfare;
- (3) Sports and Athletic activities
- (4) Social Service Scheme;
- (5) National Cadet Corps;

(eighteen) scrutinise all proposals of Academic Council with a view to their execution within the framework of the budget.

(nineteen) create post of Professor, Reader, lecturer or other teaching posts as may be proposed by with the prior sanction of the State Government.

(twenty) create administrative, ministerial and other posts with the prior sanction of the State Government.

(twenty one) abolish or, suspend, any post of Professor, Reader, Lecturer or other teaching pots in the University.

(twenty two) establish, maintain and manage colleges, teaching departments, institutions of research or specialized studies, laboratories, libraries, museums and halls.

(twenty three) provide housing accommodation for teachers of the University.

(twenty four) arrange for and direct the inspection of affiliated colleges, recognized institutions and to issue instructions for maintaining their efficiency and for ensuring proper conditions of employment for members of their staff, and payment of adequate salaries, and, in case of disregard of such instructions, to modify on recommendation of Academic Council, the conditions of affiliation or recognition or taking of such other steps as it deems necessary and proper on that behalf.

(twenty five) prepare a college code laying down therein the terms and conditions of affiliation of colleges;

(twenty six) call for reports, returns and other information from affiliated colleges, recognized institutions;

(twenty seven) supervise and control the admission ,residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;

(twenty eight) recommend to the Kuladhipati the conferment of honorary degrees and

academic distinctions in the manner prescribed by Statute;

(twenty nine) confer or withdraw degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in the manner prescribed by Statute;

(thirty) institute fellowships, scholarships, studentships. Exhibitions, medals and prizes;

(thirty one) save as otherwise provided by this Act, or the Statute, to appoint the officers other than Kulpati, teachers and other employees of the University, to define their duties and the conditions of their service and to provide for the filling of temporary vacancies in their posts;

(thirty two) regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and ministerial staff of the University in accordance with Statute and Ordinance;

(thirty three) recognize a member of the staff of an affiliated college or recognized institution as a teacher of the University and withdraw such recognition.

(thirty four) fix remuneration of examiners to arrange for the conduct of and for

publishing the results of the University examinations and other tests;

(thirty five) cancel examinations in the event of malpractices partially or wholly and to take action against any person or group of persons or institutions found guilty of such malpractices, including rustication of students;

(thirty six) take disciplinary action against students enrolled in the University, including candidates for any examinations;

(thirty seven) take disciplinary action against staff, persons appointed as invigilators, examiners, etc.

(thirty eight) demand and receive fees and other charges as may be prescribed by the Ordinance.

(thirty nine) make, amend and cancel Ordinance;

(forty) accept, reject or return regulation framed by Academic Council to it for consideration;

(forty one) entertain, adjudicate upon and, if deemed fit to, redress grievances of the employees;

(forty three) exercise all powers of the University not otherwise provided for in this Act or Statute and all other powers which are requisite to give affect to the provisions of this Act or Statute;

(forty four) delegate by regulation any of its powers to Kulpati, Registrar or such other officer of the University or a committee appointed by it as it may deem fit.

- (1) the Kuladhipati shall constitute a Finance Committee for such University, consisting of the following members, namely:-
 - (one) Kulpati of the University-Chairman;
 - (two) Registrar of the University, Member secretary:
 - (three) Dean of faculties:
 - (four) Principal Secretary/Secretary, Public relation or his nominee, not below the rank of Deputy Secretary.
 - (five) Principal Secretary/Secretary, Finance, or his nominee, not below the rank of

Finance Committee Deputy Secretary.

- (six) Principal Secretary/Secretary, Higher Education, or his nominee, not below the rank of Deputy Secretary.
- (2) The Finance Committee shall control the finances of the University.
- (3) Subject to the provisions of this Act, Statute, Ordinance and Regulation made there under, the Finance Committee shall exercise the powers and perform the functions as under:-
 - (a) review the income and expenditure of the University;
 - (b) prepare annual financial estimates of the University before the commencement of the financial year and place it before the Executive Council for approval, and to advise amendment therein from time to time.
 - (c) sanction proposals and take decisions on the income and expenditure or the University.
 - (d) get the annual accounts and the annual audit of the University completed in time and in light of the reports, order, appropriate directions.

(4) four members shall form the quorum, out of which the presence of Kulpati and one member either from clause (five) or (six) of subsection (1) shall be essential in the committee.

Academic Council

- 25 (1) The Academic Council shall be constituted of following members, namely:-
 - (one) Kulpati; Chairman;
 - (two) Registrar; Member Secretary
 - (three) Deans of faculties;
 - (four) Chairpersons of Board of studies;
 - (five) All the Heads of Department of the University;
 - (six) teacher from any branch of communication, nominated by Kulpati;
 - (seven) eminent professionals from the field of communication, nominated by the

Kuladhipati;

- (eight) Two Professors of teaching departments (on rotation basis);
- (nine) 2 Readers / -Lecturers of teaching departments / Study centers of the

(2) The term of members, other than Ex-officio members, shall be four years;

Powers of the Academic Council

> 26 (1) The Academic Council shall in addition to all other powers vested in it by this Act, Statute and Ordinance, shall have, the following powers and perform the following duties, namely:-

> > (one) exercise general supervision, over the academic policies of the university and to give directions regarding methods of instruction, co-operative teaching among colleges and institutions maintained by or admitted to the privileges of the University, valuation of research or improvements in academic standards;

(two) consider matter of general academic interest either on its own initiative or on reference by a faculty or the Executive Council and to take appropriate action thereon; (three) make proposal for allocating departments to the faculties and to assign fellows and its own members to the faculties;

(four) make proposals for institution of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals and prizes and to make rules of their award;

(five) consider the application for admission of an educational institution to the privileges of the University;

(six) prescribe qualifications for recognition of persons as teachers of the University and to accord such recognition;

(seven) make arrangements for the conduct of examinations and to appoint result committees consisting of its member or other persons or both, as it thinks fit, to prepare the result of the examinations, and report such results to the Executive Council for publication.

(eight) recognize persons eminent in any subject to guide research in that subject.

(2) The Academic Council may appoint a Standing Committee consisting of its members. The constitution, powers and functions of the said standing committee shall be determined by Statute .

- 27. (1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be presented by Statute.
 - (2) Each Board shall consist of
 - (one) Professors of University Teaching Departments and Schools of Studies in subjects for which the Board is constituted;
 - (two) one Reader from the University Teaching Departments and Schools of Studies teaching the said subjects, to be nominated by Kulpati, by rotation according to seniority :
 - (three) one Professor from the University Teaching Department, teaching the said subjects, to be nominated by Kulpati by rotation according to seniority;
 - (four) Heads of Department of the subjects;
 - (five) one student to be nominated by Kulpati possessing the qualifications laid down in Statute for one year;
 - (six) two members to be co-opted by the Board, one of whom shall be an expert from outside the University,

(3) The chairman of the Board of Studies shall be nominated by Kulpati from amongst the members of the Board referred to in clause (1) of subsection (2);

Provided that if there is no member under clause (1), Chairman shall be nominated by Kulpati from amongst the members of the Board under clause (two) and (four) of subsection (2):

- (4) The term of the Board of Studies shall be three years:
- (5) The Board of Studies shall have such powers and perform such function as may be prescribed by Statute;

Chapter V

Finance

University fund

- 28 (1) The University shall establish a fund called the University fund,
 - (2) The following shall form part of, or be paid in , to the University fund,
 - (a) any rent, Contribution or grant by Central or State Government or any corporate

body;

- (b) trusts, bequests, donations, endowment and other grant if any;
- (c) the income of the University from all sources including income from fees and charges,
- (d) all other sums received by the University;
- (3) The University fund shall be kept in any Nationalised Bank.
- (4) The fund shall be operated by Kulpati or Registrar or Finance officer for such purpose prescribed by Statute.
- 29 (1) The University fund shall be applicable to the following objects and in the following order;
 - (a) the repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act, Statute, Ordinance and Regulation made trereunder;
 - (b) the up keep of colleges, teaching departments, schools of studies established by the University and residences.
 - (c) the payment of the cost of audit of the University fund;

Objects to which University Fund may be applied

- (d) the expenses of any suit or proceedings to which University is a party;
- (e) the payment of salaries and allowances of the officers and employees of the University, payment of any Provident fund Contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees.
- (f) the payment of the travel and other allowances to the members of authorities and committees as may be prescribed.
- (g) the payment of fellowships, Scholarships, Studentships and other awards to students,
- (h) the payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act, Statute, Ordinance or Regulation,
- (i) the payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University;
- (2) No expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring and not nonrecurring expenditure for the year fixed by the Executive Council without the prior approval of the Executive Council;

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the prior approval of the Executive Council;

Annual Accounts and Audit

- 30 (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council.
 - (2) The accounts of the University shall be audited at least once in every year at intervals of not more than 15 months by the auditors of the Local Fund Audit of the State.
 - (3) The State Government shall have powers to order special audit of the accounts.
 - (4) A copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive council to the State Government and the same shall be laid on the table of the legislative Assembly.

Annual Report

31

- (1) The Annual Report of the University shall be prepared by Kulpati every year.
 - (2) The prepared report shall be submitted to the Executive Council for approval,
 - (3) One copy of the report shall be submitted to the State Government and cause the same

to be laid on the table of the Legislative Assembly,

Chapter VI

Co-ordination Committee, Statute, Ordinance and Regulation

Kulpati shall be the member of coordination committee

32 Kulpati of the University shall be the member of the Co-ordination Committee constituted under section 34 of Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No.22, year 1973)

Statute

- 33 Subject to the provisions of the Act, the Statute may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;
 - (b) the manner of election or appointment and the term of office of the members of the bodies,
 - (c) emoluments and other terms and conditions of service of Kulpati;

- (d) powers and duties of Registrar, and other officers and employees of the University and the conditions of their services including recruitment, emoluments, promotion, seniority, conduct and disciplinary proceedings.
- (e) constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme and provision of gratuity and other benefits of the officers, and employees of the University;
- (f) holding of convocation to confer degrees;
- (g) Conferment of honorary degrees;
- (h) withdrawl of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;
- (i) establishment and abolition of faculties, colleges, teaching departments, study centres, schools of studies and institutions maintained by the University;
- (j) conditions under which colleges, and other institutions may be admitted to the privileges of the University and the withdrawl of such privileges;
- (k) The extent of autonomy which the teaching department of the University, schools of studies, study centres or colleges may have and the matters in relation to which such

34

autonomy may be exercised;

- (l) qualifications of Professor, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated colleges and recognized institutions;
- (m) the administration of endowments, and the institution of fellowship, scholarships, studentships, exhibition, bursaries, medals prize and other awards;
- (n) the mode of determining seniority for the purpose of this Act,
- (o) the maintenance of a register of registered graduates;
- (p) establishment and constitution of Bureau for publication and translation;
- (q) all other matters, which by this Act, are to be provided for the Studies.
- (1) The first Statute shall be framed by the State Government and the State Government may amend the first statute as may be necessary.
- (2) The authorities may from time to time, amend or repeal any statute, except first statute.
- (3) The authority may- on its own motion; or otherwise take into consideration the draft of a Statute.

Provided that nothing in this clause shall apply in respect of statutes other than those affecting the emoluments of Kulpati, Registrar and other officers of the University.

- (4) Where a draft is proposed by the authority under this section it shall be referred to the Executive Council for consideration and the Kuladhipati may, after considering the views, if any, of the Executive Council that may be received within such period not less than thirty days as the Kuladhipati may specify approve such draft with or without modifications and pass the Statute,
- (5) Where a draft is proposed by the Executive Council the Kuladhipati may approve of such draft and pass the Statute or reject it or return it to the Executive Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendment which he may suggest.
- (6) After any draft returned under sub-section (5) has been further considered by the Executive Council together with any amendment suggested by the Kuladhipati, it shall again be presented to the Kuladhipati with a report of the Executive Council thereon and the Kuladhipati may approve or reject the Statute.

- (7) The Kuladhipati shall not take into consideration, nor the Executive Council shall propose the draft of any Statute or of any amendment of a Statute or of the repeal of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal.
- (8) The Kuladhipati may approve the statute and they shall become effective from such date as the Kuladhipati may specify.

Ordinance

- 35 (1) Subject to the provisions of this Act and the Statute the Ordinance may provide for all or any of the following matters, namely.
 - (a) admission of students, courses of study and fees thereof, qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, conditions for the grant of fellowships, awards and the like;
 - (b) conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners and moderators;
 - (c) any other matter which by this Act or the Statute is to be or may be provided for by the

Ordinance.

(2) The first Ordinance shall be made by Kulpati with the previous approval of the State Government and the Ordinance so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statute.

Regulation

- 36 (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statute and the Ordinance for the conduct of their own business and that of the Committee, appointed by them and not provided for by this Act, the Statute or the Ordinance in the manner prescribed by the Statute.
 - (2) Regulation made shall be placed before the Kuladhipati for his approval and shall be effective from the date of its approval.

Chapter VII

Admission of Student and Appointment of Examiners

Admission to University Course

Appointment Of Examiners And Moderators 37 Students shall not be eligible for admission to a course of study for a graduate or diploma courses unless they have qualifications as may be prescribed by the Ordinance,

- 38 (1) Subject to the provisions of Statute, all examiners shall be appointed by Kulpati, in consultation with the Committee consisting of the following members-
 - (one) Dean of the faculty concerned who shall be Chairman of the Committee;
 - (two) Chairman of the Board of Studies concerned;
 - (three) a member of the Board of Studies concerned, to be nominated by Kulpati;
- (2) If during the course of an examination any examiner becomes for any course, incapable of acting as such, Kulpati shall appoint an examiner to fill the vacancy;

Chapter VIII

Appointment to teaching posts in the University

Appointments to teaching posts

39 No person shall be appointed as:-

(one) Professor, Reader or Lecturer, or

(two) any other teaching post of the University paid by the University, recommendation of selection committee constituted in accordance with subsection (1) of section 41;

Provided that aforesaid appointment is any of the teaching posts not expected to continue for more than six months and cannot be delayed without detriment to the interest of the Department or Institution maintained by the University the executive council may make such appointment without obtaining the recommendation of the committee of selection constituted under subsection (1) of section 41 but the person so appointed, shall not be retained on the same post for a period exceeding (six months) or appointed to another post in the service of the University except on the recommendation of the said committee of selection.

Selection Committee

Selection

Committee

40 (1) The members of the selection committee shall be-

(one) Kulpati Chairman

(two) Head of the department /centre of the University of the concerned subject, if he is

professor, or Dean of the faculty where in the concerned subject there is no professor available and Head of the Department or where the selection of Professor has to be done;

(three) one expert to be nominated by the Kuladhipati from a panel, submitted by Academic Council of three experts in the subject not connected with the University in any manner whatsoever,

(four) three subject experts to be nominated by the Kuladhipati not connected with University in any manner,

- (2) Three members of the Selection Committee shall from quorum,
- (3) The committee shall investigate the merits of various candidates, and shall recommend to the executive council, the names, if any, of persons who consider suitable for the posts, arranged in order of merit,

Provided that no recommendation shall be made unless, at least two experts nominated under clauses (three) and (four) of subsection (1) are present in the meeting in which such recommendation is to be decided upon.

(4) Out of the names recommended under subsection (3) of the Executive Council shall appoint person in order of merit.

Salaries of Teachers

41 The payment of the salaries to the teachers of the University paid by the University shall be in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

Chapter IX

Emergency Provisions

State Government to assume financial control in certain circumstances

- (1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.
 - (2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State

Government may, from time to time, by notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

- (3) During the period of the notification issued under sub-section (1) the executive authority of the State Government shall extend to the give directions to the said University to observe such cannons of financial propriety as may be specified in the direction and to give such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.
- (4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:(one) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction.
 - (two) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;
 - (three) a provision requiring the submission of every proposal for the revision of pay scale and rate of allowances of the officers, teachers, and other persons employed by the

university to the State Government for the sanction,

(four) a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University, a provision requiring the deduction in the number of posts of the officers, teachers and other persons employed by the University; (five) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rate of allowances and a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, and administrative expert and a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

- (5) Notwithstanding any thing contained in this Act. It shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.
- (6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund

Powers of State Government to Apply Act in modified form with a view to provide for better administration of University in certain circumstances

43

or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary of Higher Education Department be recovered from such officer as an arrears of land revenue

Provided that no action to recover the amount of loss as arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish explanation and such explanation has been considered by the State Government,

(1)*If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the university cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Section 11, 22 and 25 shall as form the date specified in the notification (hereinafter in this Section referred to as the appointed date)

apply to the University* subject to the modification specified in the first scheduled appended to this Act.

- (2) The Notification issued under sub- section (1) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period of such further period as it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.
- (3) The Kuladhipati shall simultaneously with the issue of the notification, appoint Kulpati under Sections 11 and 12 and Kulpati so appointed shall hold office during the period of operation of the notification.

Provided that Kulpati may. notwithstanding the expiration of the period of operation of the notifications, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue. namely:(one) Kulpati, holding office immediately before the appointed date, shall

notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office;

(two) every person holding office as a member of the Executive or the Academic Council, as the case may be immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(three) until the, executive Council or Academic Council, as the case may be is reconstituted in accordance with the provisions as modified, Kulpati appointed under Section `12 and 13 as modified, shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, Kulpati shall take steps to constitute Executive Council and

Effect on expiration of the period of notification under section Academic Council in accordance with the provisions of the Act, as unmodified and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later.

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, Kulpati shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Kuladhipati till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

44 On expiration of the period of operation of the notification issued under Section 44, the provisions of this Act, as modified in application to the University mentioned in the notification shall cease to operate in respect there of and the other relevant provisions of this act shall revive and continue to apply thereto,

Provided that expiration of the operation of the notification shall not affect :-

(a) previous operation of or anything done or liability acquired, accrued or incurred under

Disputes as to constitution of University authorities and bodies the provisions as modified or any order made thereunder; or

- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or
- (c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

Chapter X

Supplementary Provisions

45 If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or of any Statute, Ordinance or Regulation or as to whether any person has been duly elected, appointed as or is entitled to be, a member of any authority, or other bodies of the University, the matter shall be referred to the Kuladhipati, whose decision thereon shall be final.

Provided that before taking any such decision the Kuladhipati himself or an officer

nominated by him, shall give the person or persons affected thereby a reasonable opportunity of being heard.

Explanation 1 – In this section the expression "body" includes any committee constituted by under this Act.

Explanation 2- In this section the expression "appointed" does not include appointments to the salaried posts of the University.

Constitution
Of Committees

46 Where any authority of the University is given power by this Act, or Statute to appoint committees, such committees shall, save as otherwise provided, consist of members of the authority concerned and of such other persons, if any, as the authority, in each case, may think fit.

Fillings of Casual Vacancies

47 Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies of the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the University shall be filled, as soon as possible for remaining unexpired period in accordance with the procedure.

Proceedings of University and bodies not invalidated by vacancies

- 48 No Act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be in valid merely by reason of
 - (a) any vacancy or defect in the constitution there of;
 - (b) any defect in the election nomination or appointment of a person acting as member thereto; or
 - (c) any irregularly in its procedure not affecting the merits of the case.

Service Conditions

- (1) Every salaried officer and teacher of the University paid by the University shall be appointed under a written contract which shall be lodged with the University and a copy thereof furnished to the officer or teacher concerned.
 - (2) Any dispute regarding service matters arising out of contract or otherwise between a University and any of its salaried employees shall be adjudicated upon by Kulpati and an appeal against Kulpati's decision shall lie to the Kuladhipati, Who shall decide the dispute himself or refer it to a tribunal constituted for the purpose consisting of the following

members, namely-

(one)* Secretary, Higher Education

(two) a person who is Kulpati or had been Kulpati of any University.

(three) any secretary, or had been secretary of the State Government.

Protection of acts and orders

50 No suit prosecution or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the University for anything which is in good faith done or intended to be done in good faith under this Act or Statute, Ordinance or Regulation.

No person in the University-

- (a) shall impart instruction unless such person possesses the qualifications laid down by Academic Council in that behalf, and
- (b) shall impart instruction except in such subject or subjects and up to the standard for which his qualifications have been approved by Academic Council

Resignation of member or officer of University

51

- (1) Any member other than Ex-offcio member of the *Executive Council, Academic Council or any other University Authority or Committee or Dean of a faculty may resign by a letter addressed to Registrar, and the resignation shall take effect as soon as the letter is accepted by Registrar.
- (2) Any Officer of the University, whether salaried or otherwise. Other than a Dean, may resign his office by letter addressed to Registrar. Such resignation shall effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy.

Disqualification for being member of authority

- (1) A person shall be disqualified for being chosen. and for being a member of any of the authorities of the University:-
 - (a) if he is of unsound mind;
 - (b) if he is deaf, mute or suffering from any contagious disease;
 - (c) if he is undischarged insolvent;
 - (d) if he has been convicted by a Court of law of an offence involving moral turpitude

and sentenced in respect there of to imprisonment.

(2)If any question arises as to whether a person is or had been subject to any disqualification mentioned in subsection (1) the question shall be referred for the decision of the Kuladhipati and his decision thereon shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any court of law against such decision.

Power to
Remove any member from authority or body

- (1) The Kuladhipati may, on the request of the Executive Council remove the name of any person from membership of any authority or body of the University if:
 - (one) he is guilty of gross misbehaviour; or
 - (two) he acts prejudicial to the interests of the University:

Provided that the Kuladhipati shall cause a preliminary enquiry to be made and if it is satisfied that a prima facie case exists, he shall serve on such a member of any authority or body, as the case may be, a charge sheet in writing, stating the misbehavior of the act prejudicial

to the interest of the University, as the case may be.

- (2) After taking into consideration the reply to the chargesheet submitted to him by the member of the authority or body of the University, as the case may be, under subsection (1), the Kuladhipati may, if it considers that further action is necessary, entrust the enquiry to a tribunal consisting of a nominee of the State Government, a nominee of the Executive Council and a nominee of the delinquent member, as the case may be.
- (3) The tribunal shall, after giving the accused member, as the case may be, an opportunity of being heard and examining such evidence as may be necessary, recorde its finding and forward it to the Kuladhipati.
- (4) The Kuladhipati may, after considering the report of the tribunal pass such final orders as it deems fit.

Provided that no order shall be passed unless the delinquent member, as the case may be, has been given a reasonable opportunity to show cause as to why the proposed action should not be taken against him.

(5) The provisions of subsection (1) to(4) shall not apply where the Kuladhipati is satisfied

Execution of contracts

that in the interest of the University it is not expedient to hold such enquiry and to issue any show cause notice or to given an opportunity of being heard to any member nominated by him before the removal of such member.

- 54 All the contracts related to the University shall be said to have been carried out by the Executive Council and this will be executed by Registrar.
- 55 Honorary Degrees omitted
- 56 Transfer of Property omitted

Removal of Difficulties

57 If any difficulty arises in the enforcement of this Act in regard with the first constitution of the authority or in reconstitution, or else to implement any subsection of this Act, then the State Government as expected on the occasion, for this purpose, by way of order shall act in away that it deems fit.

SCHEDULE

(See Section 43)

Appointment of Kulpati

1 11 Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati in consultation with the State Government and may be removed by the Kuladhipati in the like manner,

Executive council

- 22 (1) Subject to the control of the State Government the Executive body of the University and shall consist of the following persons namely:
- (1) Kulpati Chairman
- (2) principal Secretary/Secretary Member public Relations
- (3) Principal Secretary/Secretary Member Finance
- (4) Principal Secretary/Secretary Member Higher Education
- (5) One Dean of Faculty nominated by Member

the Kuladhipati

(6) Registrar Secretary

- (2) The terms of all members of the Executive Council shall be coextensive with the period of operation of the Notification issued under Section 43.
- (3) Three members of the Executive Council shall form a quorum.

Academic Council

- 3 25 (1) The Academic Council shall be constituted of the following members; Namely:-
 - (1) Kulpati Chairman
 - (2) Registrar Secretary
 - (3) Two teachers of the Member

University Teaching

Departments nominated by the Kulpati

- (4) An Educationist nominated Member by the Kuladhipati
- (2) The term of all member of the Academic Council shall be co-extensive with the period of

operation of the notification issued under section 43	•
00	

'विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्गृ/ सी. ओ./सयपुर/17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194]

ं रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6887/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **ुविमला सिं**ह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 15 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवं वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

संक्षित नाम तथा प्रारंभ.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

- 2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (एक) ''मूल अधिनियम'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004).
 - (दो) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची.

धारा-2 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (नौ) का लोप किया जाये.

धारा-3 का संशोधन.

- 4. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये :—
 - ''(1) कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जावेगी. विश्वविद्यालय उपरोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जो कुलाधिपित, कुलपित की कार्यपरिषद् और विद्यापरिषद् के सदस्यों से मिलकर बनेगा और ऐसे समस्त व्यक्ति जो इसके पश्चात् उसके ऐसे अधिकारी या सदस्य बन गये हैं, ऐसे पद धारण करने या ऐसी सदस्यता धारण तक ऐसे पद पर बने रहेंगे.''

धारा-10 का संशोधन.

- 5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाये :—
 - ''कुलाधिपति अपने पद के आधार पर मानद अधिकारी होगा और जब उपस्थित हो, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.''

धारा-11 का संशोधन.

- 6. (एक) मूल अधिनियम ो धारा 11 की उपधारा (8) में शब्द ''छ: माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' स्थापित कि या जाये.
 - (दो) मूल अधिनिञ ो धारा ११ की उपधारा (৪) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए,—
 - "परन्तु कुलाम पति यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद, एक प्रशासनिक

विशेषज्ञ तथा एक वित्तीय विशेषज्ञ होगा जो कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.''

7. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,—

धारा-12 का संशोधन.

"कुलपित की मृत्यु के कारण, उसके पद त्याग के कारण, छुट्टी, रुग्णता या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सिम्मिलित है, राज्य सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नाम-निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का वरिष्ठतम आचार्य कुलपित के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको की कोई कुलपित जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा-11 की उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थित अपना पदग्रहण या पुन: ग्रहण नहीं कर लेता है :—

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यातं किया गया इंतजाम छ: मार्स से अधिक कालावधि तक चालू नहीं रहेगा.''

8. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाए,--

धारा-13 का संशोधन.

''और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में महापरिषद् के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा'' एवं ॄ''महापरिषद् का सदस्य तथा''

- (2) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में ''महापरिपद्'' को लोप दि.या जाए.
- (3) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (9) में शब्द ''छ: माह'' के स्थान पर शब्द ''एक वर्ष'' स्थापित किया जाए.
- . 9. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में शब्द ''महापरिषद्'' का लोप किया जाए.

धारा-14 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 16 के खण्ड (एक) का लोप किया जाए.

धारा-16 का संशोधन.

.11. मूल अधिनियम की धारा 17 का लोप किया जाए.

धारा-17 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 18 का लोप किया जाए.

धारा-18 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 19 का लोप किया जाए.

धारा-19 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 20 का लोप किया जाए.

धारा-20 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाए.

धारा-21 का संशोधन.

- 16. (1) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) में ''विधानसभा अध्यक्ष द्वारा धारा-22 का संशोधन. मनोनीत दो विद्वान जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ा हो'' के स्थान पर ''विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित तीन विधायक'' स्थापित किया जाए.
 - (2) मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) को लोप किया जाए.
- 17. (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधार्रा (1) के खण्ड (चार) में ''और उन्हें महापरिषद् के धारा-23 का संशोधन. समक्ष उसके विचारार्थ रखना'' के स्थान पर ''और उन्हें पारित करना'' स्थापित किया जाए.
 - (2) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (पांच) के उपखंड (क) का लोप किया जाए.

- (3) मूल अधिनियम की धारा 23 की उपध्यरा (1) के खण्ड (सत्रह) के स्थान पर निम्नलि।खत खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्—
 - (क) (1) निवेश वाह्य अध्यापन तथा गवेषणा,
 - (2) विश्वविद्यालय विस्तार सम्यन्धी क्रियाकलाप,
 - (3) दूरस्थ शिक्षा.
 - (ख) (1) शारीरिक प्रशिक्षण,
 - (2) विद्यार्थी कल्याण,
 - (3) खेलों तथा व्यायाम सम्बन्धी क्रियाकलाप,
 - (4) समाज सेवी योजनायें,
 - (5) राष्ट्रीय कैडेट कोर.
- धारा-24 का संशोधन. 18. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (4) में निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :--
 - ''चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी. समिति में कुलपित तथा उपधारा (1) के खण्ड (पांच) या (छ:) में से एक सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी.''
- धारा-29 का संशोधन. 19. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए ;
 - ''प्राधिकरणों तथा समितियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों जिन्हें विहित्र किया जाए, के संदाय के लिए.''
- धारा-30 का संशोधन. 20. (1) मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—
 - ''विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जायेगी, जो कि 15 मास से अधिक न हो.''
 - (2) मूल अधिनियम की धारा 30 को उपधारा (4) क स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए :—
 - ''संपरीक्षित लेखाओं की प्रति और उसके साथ संपरीक्षा रिपोर्ट कार्यपरिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी तथा उसे विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा.''

धारा-31 का संशोधन.

- 21. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित किया जाए,—
 ''तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी.''
- धारा-40 का संशोधन.
- 22. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) में शब्द ''विषय में पांच विशेषज्ञों की विद्यापरिषद् द्वारा प्रस्तुत की गई पैनल में से'' का लोप किया जाए.

- 23. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (6) में शब्द ''तक़नीकी शिक्षा/जनसंपर्क'' के स्थान पर शब्द धारा-42 का संशोधन. ''उच्च शिक्षा विभाग'' स्थापित किया जाए.
- 24. मूल अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) में शब्द तथा अंक "धारा 11, 12, 21, 24, 34, 35 तथा धारा-43 का संशोधन. 41 उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे." के स्थान पर शब्द "धारा 11, 22 तथा 25 के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे" स्थापित किया जाए.
- 25. मृत अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (एक) में शब्द ''सिचव, जनसम्पर्क'' के स्थान धारा-49 का संशोधन पर शब्द ''सिचव उच्च शिक्षा'' स्थापित किया जाए
- 26. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में शब्द ''महापरिषद्'' का लोप किया जाए. धारा-51 का संशोधन.
- 27. मूल अधिनियम की धारा 55 का लोप किया जाए. धारा-55 का संशोधन.
- 28. मूल अधिनियम की धारा 56 का लोग किया जाए. **धारा-56 का** संराज्यन.

अनुसूची (धारा 43 देखिए)

कुलपति की नियुक्ति. 1. 11 कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और वह कुलाधिपति द्वारा उसी रीति में हटाया जा सकेगा.

कार्यपरिषद् 2. 22 (1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(1) कुलपित अध्यक्ष
 (2) प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य जनसम्पर्क विभाग.
 (3) प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य वित्त विभाग.
 (4) प्रमुख सचिव/सचिव, सदस्य उच्च शिक्षा विभाग.
 (5) प्रक संकार्याध्यक्ष जो कलाधिपति सदस्य

(5) एक संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति सदस्य द्वारा नाम-निर्देशित किया जाएगा.

(6) कुलसचिव सचिव

- (2) कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों की पदाविध का विस्तार रहेगा. धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालाविध तक रहेगा.
- (3) कार्यपरिषद् के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

विद्यापरिषद्. 3. 25 (1) विद्यापरिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात् :--

(1) कुलपित अध्यक्ष
 (2) कुलसिचव सिचव
 (3) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के दो सदस्य
 शिक्षक जो कुलपित द्वारा नामनिर्दिष्ट किये
 जायेंगे.

(4) एक शिक्षाविद् जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य किया जाएगा.

(2) विद्यापरिषद् के समस्त सदस्यों की पदावधि का विस्तार धारा 43 के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि तक रहेगा.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6887/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 15 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 15 of 2005)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act to amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India is as follows:

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Act, 2005.

Short title and Commencement.

- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires:—

Definition.

- (i) "Principal Act" means the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).
- (ii) "Schedule" means Schedule appended to this Act.
- 3. Clause (nine) of Section 2 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

4. For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted:—

Amendment of Section

"(1) University shall be established in the name of the Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya.

The University shall be corporate body which shall have the Kuladhipati and members of Executive council, academic council and all persons who may hereafter become such officers or members thereof so long as they continue to hold such office or membership".

 For sub-section (2) of Section 10 of the Principal Act, following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 10.

"The Kuladhipati shall be an honorary officer by virtue of his office and shall, when present, preside the convocation of the University."

6. (i) Sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, for words "Six months" the words "one year" shall be substituted.

Amendment of Section

(ii) After sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, the following proviso shall be added:—

"Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient to do so, appoint a Committee after consultation with the State Government consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to aid and advise the Kulpati in exercise of his powers and performance of functions".

7. For sub-section (6) of Section 12 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted:—

Amendment of Section

"In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the

office of Kulpati by reason of his illness, leave, death, resignation or otherwise Dean of any faculty or the senior most Professor of the University teaching department nominated by the Kuladhipati in consultation with the State Government for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or subsection (7) of Section 11, enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Amendment of Section 13.

8.

(1) In sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act, the following words shall be omitted:—

"And shall in the absence of the Kuladhipati preside at the meeting of the General Council" and "member of general council"

- (2) Sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted.
- (3) In sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, for the words "six months" the words "one year" shall be substituted.

Amendment of Section 14.

 In sub-section (1) of Section 14 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted:

Amendment of Section 16.

10. Clause (one) of Section 16 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 17.

11. Sections 17 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 18.

12. Sections 18 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

13. Sections 19 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

14. Sections 20 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

15. Sections 21 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

16.

17.

(1) In Clause (three) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "two scholars related to Journalism nominated by the Speaker" the words "three members of the legislative assembly nominated by the speaker" shall be substituted.

(2) Clause (eight) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 23.

- (1) In Clause (four) of Section 23 of the Principal Act, for the words "place before the General Council for its consideration" the words "to pass the same" shall be substituted.
- (2) Sub-clause (a) of clause (five) of Section 23 of the Principal Act, shall be omitted.
- (3) for Clause (seventeen) of Section 23 of the Principal Act, the following clause shall be substituted,—
 - "(a) (1) Extra mural teaching and research.
 - (2) University extension activities,
 - (3) Distance teaching.

- (b) (1) Physical training,
 - (2) Students Welfare,
 - (3) Sports and Athletic activities,
 - (4) Social Service Schemes,
 - (5) National Cadet Corps."
- 18. In sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section

"Four members shall form the quorum, out of the presence of Kulpati and one member either from clause (five) or (six) of sub-section (1) shall be essential in the committee".

19. For clause (f) of sub-section (1) of Section 29 of the Principal Act, the following clause shall be substituted,—

Amendment of Section 29.

"the payment of travel and other allowances to the members of authorities and committees as may be prescribed."

20. (1) For sub-section (2) of Section 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section

"The accounts of the University shall be audited atleast once in every year at intervals of not more than 15 months by the auditors of the Local Fund Audit of the State."

- (2) For sub-section (4) of Sectoin 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—
 - "A copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the State Government and the same shall be laid on the table of the Legislative Assembly."
- 21. For sub-section (2) of section 31 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section

"The prepared Annual Report shall be submitted to the Executive Council for approval."

22. In Clause (four) of sub-section (1) of section 40 of the Principal Act the words "from a panel submitted by the academic council of five experts in the subject" shall be omitted.

Amendment of Section

23. In sub-section (6) of Section 42 of the Principal Act, for the words "Technical Education/Public Relation" the words "Higher Education Department" shall be substituted.

Amendment of Section 42.

24. In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words and figure "direct that the provisions of Sections 11, 12, 21, 24, 34, 35 and 41 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the University." the words "direct that the provisions of Sections 11, 22 and 25 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in the section referred to as the appointed date), apply to the University subject to modification specified in the first Schedule appended to this Act" shall be substituted.

Amendment of Section 43.

		·
Amendment of Section 49.	25.	In clause (one) of sub-section (2) of Section 49 of the Principal Act, for the words "Secretary Public Relation" the words "Secretary Higher Education" shall be substituted.
Amendment of Section 51.	26.	In sub-section (1) of Section 51 of the Principal Act, the words "The General Council" shall be omitted.
Amendment of Section 55.	27.	Sections 55 of the Principal Act shall be omitted.
Amendment of Section 56.	28.	Sections 56 of the Principal Act sail be omitted.

SCHEDULE (See Section 43)

1. II Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati in consultation with the State Appointment Government and may be removed by the Kuladhipati in the like manner.

2. 22 (1) Subject to the control of the State Government the Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following persons, namely:—

Executive Council

- 'Chairman Kulpati (1) Principal Secretary/Secretary Member (2) Public Relations. (3)Principal Secretary/Secretary Member Finance. (4)Principal Secretary/Secretary Member Higher Education. One Dean of Faculty nominated by Member the Kuladhipati. (6) Registrar Secretary
- (2) The terms of all members of the Executive Council shall be co-extensive with the period of operation of the Notification issued under Section 43.
- (3) Three members of the Executive Council shall form a quorum.
- 3. 25 (1) The Academic Council shall be constituted of the following members, Academic Council namely:—

Kulpati Chairman
 Registrar Secretary
 Two teachers of the University
 Teaching Departments nominated
 by the Kulpati.
 An Educationist nominated by the
 Kuladhipati.

(2) The term of all member of the Academic Council shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 43.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572]

रायपुर, शनिवार, दिनांक ७ सितम्बर २०१९ — भाद्रपद १६, शक १९४१

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9201/डी. 161/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- धारा 11 का संशोधन.

2.

- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में, धारा 11 के उप-धारा (8) में, शब्द "एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्यान" के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द "एक व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मिडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ट स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो," प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 12 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 - "(6) कुलपित का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपित द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपित के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपित, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुन: पद ग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छ: मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी."

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9201/डी. 161/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-9-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2019)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2019

An Act to further amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. This Act may be called the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Short title, extent (1) Jansanchar University (Amendment) Act, 2019.

and commencement.

- It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. (2)
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004), in sub-section (8) of Section 11, for the words "from field of journalism", the punctuation and words", a professional person of either branch from field of journalism or mass media, who has more than 20 years of experience at senior level in public or private sector" shall be substituted.

Amendment Section 11.

- 3. For sub-section (6) Section 12 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 12.

"(6) In the event of occurence of any vacancy in the office of the Kulapati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise including a temporary vacancy, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available then on recommendation of the State Government, the Dean of any faculty or the Senior most Professor of the University Teaching Department or any Officer not below the rank of Special Secretary to the State Government to be nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which Kulapati is appointed, for filling such vacancy, under sub-section (7) of Section 11 enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

> Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months."

CHHATTISGARH ACT (No. 15 of 2005)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2005

An Act to amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-sixth year of the Republic of India is as follows:

1. (1) This Act may be called Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Act, 2005.

Short title and Commencement.

- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires :-

Definition.

- (i) "Principal Act" means the Chhattisgath Kushabhau Thakre. Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).
- (ii) "Schedule" means Schedule appended to this Act.
- Clause (nine) of Section 2 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section

4. For sub-section (1) of Section 3 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted:—

Amendment of Section

"(1) University shall be established in the name of the Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya.

The University shall be corporate body which shall have the Kuladhipati and members of Executive council, academic council and all persons who may hereafter become such officers or members thereof so long as they continue to hold such office or membership".

5. For sub-section (2) of Section 10 of the Principal Act, following sub-section shall be substituted, namely:—

Amendment of Section 10.

"The Kuladhipati shall be an honorary officer by virtue of his office and shall, when present, preside the convocation of the University."

6. (i) Sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, for words "Six months" the words "one year" shall be substituted.

Amendment of Section

- (ii) After sub-section (8) of Section 11 of the Principal Act, the following proviso shall be added:—
 - "Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient to do so, appoint a Committee after consultation with the State Government consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to aid and advise the Kulpati in exercise of his powers and performance of functions".
- For sub-section (6) of Section 12 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted:—

Amendment of Section

"In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the

office of Kulpati by reason of his illness, leave, death, resignation or otherwise Dean of any faculty or the senior most Professor of the University teaching department nominated by the Kuladhipati in consultation with the State Government for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 11, enters, as the case may be, upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Amendment of Section 13.

8.

- (1) In sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act, the following words shall be omitted:—
 - "And shall in the absence of the Kuludhipati preside at the meeting of the General Council" and "member of general council"
- (2) Sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted.
- (3) In sub-section (9) of Section 13 of the Principal Act, for the words "six months" the words "one year" shall be substituted.

Amendment of Section

9. In sub-section (1) of Section 14 of the Principal Act, the words "General Council" shall be omitted.

Amendment of Section 16.

- 10. Clause (one) of Section 16 of the Principal Act shall be omitted.
- Amendment of Section 17.
- 11. Sections 17 of the Principal Act shall be omitted.
- Amendment of Section 18.
- 12. Sections 18 of the Principal Act shall be omitted.
- Amendment of Section 19.
- Sections 19 of the Principal Act shall be omitted.
- Amendment of Section 20.
- 14. Sections 20 of the Principal Act shall be omitted.
- Amendment of Section 21.
- 15. Sections 21 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 22.

16.

17.

- (I) In Clause (three) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, for the words "two scholars related to Journalism nominated by the Speaker" the words "three members of the legislative assembly nominated by the speaker" shall be substituted.
 - (2) Clause (eight) of sub-section (1) of Section 22 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 23.

- (1) In Clause (four) of Section 23 of the Principal Act, for the wirds "place before the General Council for its consideration" the words "to pass the same" shall be substituted.
 - (2) Sub-clause (a) of clause (five) of Section 23 of the Principal Act, shall be omitted.
- (3) for Clause (seventeen) of Section 23 of the Principal Act, the following clause shall be substituted,—
 - "(a) (1) Extra mural reaching and research.
 - (2) University extension activities,
 - (2) Distance teaching.

- (b) (1) Physical training.
 - (2) Students Welfare,
 - (3) Sports and Athletic activities,
 - (4) Social Service Schemes,
 - (5) National Cadet Corps."
- 18. In sub-section (4) of Section 24 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section 24

"Four members shall form the quorum, out of the presence of Kulpati and one member either from clause (five) or (six) of sub-section (1) shall be essential in the committee".

19. For clause (f) of sub-section (1) of Section 29 of the Principal Act, the following chause shall be substituted.—

Amendment of Section

"the payment of travel and other allowances to the members of authorities and committees as may be prescribed."

20. (1) For sub-section (2) of Section 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section

"The accounts of the University shall be audited atleast once in every year at intervals of not more than 15 months by the auditors of the Local Fund Audit of the State."

(2) For sub-section (4) of Sectoln 30 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

"A copy of the audited accounts together with the audit report shall be submitted by the Executive Council to the State Government and the same shall be laid on the table of the Legislative Assembly."

21. For sub-section (2) of section 31 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted,—

Amendment of Section 31.

"The prepared Annual Report shall be submitted to the Executive Council for approval."

22. In Clause (four) of sub-section (1) of section 40 of the Principal Act the words "from a panel submitted by the academic council of five experts in the subject" shall be omitted.

Amendment of Section 40.

23. In sub-section (6) of Section 42 of the Principal Act, for the words "Technical Education/Public Relation" the words "Higher Education Department" shall be substituted.

Amendment of Section 42.

24. In sub-section (1) of Section 43 of the Principal Act, for the words and figure "direct that the provisions of Sections 11, 12, 21, 24, 34, 35 and 41 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date) apply to the University" the words "direct that the provisions of Sections 11, 22 and 25 shall as from the date specified in the Notification (hereinafter in the section referred to as the appointed date), apply to the University subject to modification specified in the first Schedule appended to this Act" shall be substituted.

Amendment of Section 43.

Amendment of Section 49.	25.	In clause (one) of sub-section (2) of Section 49 of the Principal Act, for the words "Secretary Public Relation" the words "Secretary Higher Education" shall be substituted.
Amendment of Section 51.	26.	In sub-section (1) of Section 51 of the Principal Act, the words "The General Council" shall be omitted.
Amendment of Section 55.	27.	Sections 55 of the Principal Act shall be omitted.
Amendment of Section 56.	28.	Sections 56 of the Principal Act - all be omitted.

SCHEDULE (See Section 43)

- 1. Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati in consultation with the State Appointment of Government and may be removed by the Kuladhipati in the like manner. Kulpati.
- 2. Subject to the control of the State Government the Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following persons, namely:—

Executive Council

- Chairman (1)Kulpati (2)Principal Secretary/Secretary Member Public Relations. Principal Secretary/Secretary Member (3)Finance. (4)Principal Secretary/Secretary Member Higher Education. (5) One Dean of Faculty nominated by Member the Kuladhipati. (6)Registrar Secretary
- (2) The terms of all members of the Executive Council shall be co-extensive with the period of operation of the Notification issued under Section 43.
- (3) Three members of the Executive Council shall form a quorum.
- 3. 25 2 (1) The Academic Council shall be constituted of the following members, Academic Council namely:—

Kulpati Chairman
 Registrar Secretary
 Two teachers of the University Teaching Departments nominated

(4) An Educationist nominated by the Member Kuladhipati.

by the Kulpati.

(2) The term of all member of the Academic Council shall be co-extensive with the period of operation of the notification issued under section 43.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगद/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572]

रायपुर, शनिवार, दिनांक ७ सितम्बर २०१९ — भाद्रपद १६, शक १९४१

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9201/डी. 161/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा पारंम
- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
- घारा 11 का संशोधन.

2.

- छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) में, धारा 11 के उप-धारा (8) में, शब्द "एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान" के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द "एक व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मिडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजिनक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो," प्रतिस्थापित किया जाये.
- धारा 12 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
 - "(6) कुलपित का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, रूग्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपित द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपित के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपित, जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 11 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है:

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छ: मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी."

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2019

क्रमांक 9201/डी. 161/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-9-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2019)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR **UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2019**

An Act to further amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Short title, extent Jansanchar University (Amendment) Act, 2019.

and commencement.

- It shall extend to the whole State of Chhattisgarh. (2)
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004), in sub-section (8) of Section 11, for the words "from field of journalism", the punctuation and words", a professional person of either branch from field of journalism or mass media, who has more than 20 years of experience at senior level in public or private sector" shall be substituted.

Amendment Section 11.

3. For sub-section (6) Section 12 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

Amendment of Section 12.

"(6) In the event of occurence of any vacancy in the office of the Kulapati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise including a temporary vacancy, the Rector and if no Rector has been appointed or if the Rector is not available then on recommendation of the State Government, the Dean of any faculty or the Senior most Professor of the University Teaching Department or any Officer not below the rank of Special Secretary to the State Government to be nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which Kulapati is appointed, for filling such vacancy, under sub-section (7) of Section 11 enters or re-enters, as the case may be, upon his office:

> Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months."

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 691]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2025 — भाद्र 7, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र. 6008/डी. 130/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 18—08—2025 को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 23 सन् 2025)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025.

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 24 सन् 2004) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्निलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- संक्षित नाम, 1. (1) वह अधिनियम छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं विस्तार तथा जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 प्रारंभ अहतायेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
 - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- धारा 11 का 2. (1) छत्तीसगढ़ नुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार संशोधन. विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (का. 24 सन् 2004) की धारा 11 की उप-धारा (1) में, शब्द ''पत्रकारिता से संवंधित क्षेत्र के' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह ''सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यिनेष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिवद्वता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिये पत्रकारिता एवं जनसंचार (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसंचर (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रूप में अनुभव या पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्राणा . 'के साथ 10 वर्षों के अनुभव के नाथ विशिष्ट शिक्षाविद''प्रतिस्थापित किया जाये।
- धारा 11 का (2) धारा 11 की उप-धारा (8) में, शब्द एवं अंक ''एक संशोधन. व्यवसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार भीडिया क्षेत्र की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर में 20 वर्ष का अनुभव हो'' के

स्थान पर, शब्द एवं अंक ''मवाँच्च स्तर की मक्षमता, सत्यिनिष्ठा, नैतिकता और मंस्था के प्रिति प्रतिबद्धता सम्पन्न, केन्द्रीय अथवा राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षों के लिये पत्रकारिता एवं जनसंचार (प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विजापन एवं जनसंपर्क, फिल्म, न्यू मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी) के प्राध्यापक के रुप में अनुभवी या पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक प्रतिष्टित अंनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के प्रमाण के साथ 10 वर्षों के अनुभव के साथ विशिष्ट शिक्षाविद् व्यक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये।

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 अगस्त 2025

क्र. 6008/डी. 130/21—अ/प्रारू./छ.ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 23 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सिन्हा, उप–सचिव.

CHHATTISGARH ACT (No. 23 of 2025)

THE CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:-

- Short title, extent 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Kushabhau and commencement.

 Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Act, 2025.
 - (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 11.

2.

In sub-section (1) of Section 11 of the Chhattisgarh (1)Kushabhau Thakre Patrakarita Jansanchar Avam University Act, 2004 (No. 24 of 2004), for the words "in the field Journalism", the words, figures and punctuation "having the highest level of competence, integrity, ethics and commitment to the institution, shall have experience in journalism and mass communication for at least 10 years in a Central or State University as a professor of journalism and mass communication (print media, electronic media, advertising and public relations, films, new media, information technology) or distinguished

Academician with 10 years experience with proof of academic leadership in a reputed research or academic administrative organization in journalism and mass communication" shall be substituted.

(2)In sub-section (8) of Section 11, for the words and figures "a professional person of either branch from field of journalism or mass media, who has more than 20 years of experience at senior level in public or private sector", the words and figures "a person having the highest level of competence, integrity, ethics and commitment to the institution, shall have experience in journalism and mass communication for at least 10 years in a Central or State University as a professor of journalism and mass communication (print media, electronic media, advertising and public relations, films, new media, information technology) or distinguished Academician with 10 years experience with proof of academic leadership in a reputed research or academic administrative organization in journalism and mass communication" shall be substituted.